SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-

YA: I fully associated myself with the special mention made by Mr. Narayan Kar and whatever Mr. Rao has stated. I was given about 150 applications By the people of Tripura. This is how demo cracy is being murdered there. A team' of Parliamentary delegates who were there were prevented and the police, un fortunately (Interruptions)were silent (Interruptions). This spectators. is a clear-cut case of murder of demo cracy. The delegation has also called on tfte Chief Minister the Magic part of it is that no action has been taken by the Chief Minister. (Interruptions). Therefore Sir, I request you to direct the Govern ment to make an investigation into this matter so that such things do not occur in future. After all, a Parliamentary de legation is going to perform its Parlia mentary duties. Thank you.

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) mil., J93S—Contd.

SHRIMATI RENUK A CHOVVDHURY (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I would brief mention why I regussl the hon. Minister to view this legislation in the corrupt perspective. Let us not view the Delhi Rent Control legislation in isolation because there i. a periphery of matters. which affect the society. For there is definitely an increase in example, urban crime. There is this law and order problem. We have rents which have been escalated to phenomenal heights. We have created at) artificial . state of inflation as as rents are concerned. There is a failure of the urban master plan. There are so many factors like drought, famine, ilood, etc. in the neighbouring States which start a mass exodus from there to urban areas as.a result personally, not so

much as a Member of Parliament, but a: a member of the present Municipal Corporation, I am a sitting Municipal Coiporator in my own urban area. Hence I have the privilege If seeing two extremes of this country functioning simultane-Ι see the Parliamennt ously. House where we pass legislations like this and I see the lack implementation at the lower levels for whom we are supposed to be passing these.

At the outset, I want us to examine the basic reason why we have come into this. In the statement of objects and reasons, the first object given is "To rationalise the present rent control law bj bringing about a balance between the interests of land-lords and tenants". It is the responsibility of us as the Members of Rajya Sabha to be able to view objectively the needs, the necessities and the pros and cons of passing a legislation like this. When we talk of rationalising the present rent control law by bringing nbout a balance between the interests of landlords and tenants, the argument presented favour of the Amendment is that the Rent Control Act is basically to protect the weaker sections of the economically society. Then, those tenants who can afford to pay Rs. 3,500 per month do not need such protection. If the intention is not to protect the weaker sections of the society, then the Act should also not apply to any non-residential property rented business-house or commercial establishment whether it is being used for commercial or residential purposes, as the tenants do not faij under the category of weaker sections of the society. As the hon. Minister knows, the present legisla lion allows, enables and is exploiting, in a totally disproportionate, sense, what is happening in reality. We have roughly

IQ houses which are rentable out of 'which only 4,000 have rentals of Rs.3507 and 'above Therefore by this legistation we are covering only I per cent of the

Chowdhuryj [Smt. Renuka tal housing accommodation. In terms [cost economics passing a legislation ke this is just unwarranted because only per cent of the total housing accommo ation comes under the purview of this egislation. We have to maintain balance between house-owners Now, to give a house utilding activity and maintaining the existing houses in a reasonable state of repair: we have to face the reality of what the present situation is. Nobody wants to do house repair because the house-owner is insecure; the tenancy rights enable the tenant to sit tight and not vacate the hoase. We have a backlog of court cases which are pending, outstanding and choking the courts. Lok Adalats must be brought in to help expedite disposal of tenancy disputes in a much easier manner. A man sweats life long and takes a loan and builds a house and rents it out because his is a transferable job. And when at the end of his service he comes back. goes into litigation and dies without ever getting his house back. Where does this leave us? Now, in terms of tenants rent; are going up; there is a phenomenal increase in the rents. Residential area-: arc converted into commercial and commercial activity is taking place there. Hence we are again not able to differentiate between residential and commercial tenants with the result all of them come under the purview of this Act. 1 would urge upon Government to take a clear view and draw a line between commercial tenants and residential tenants so that those who are not entitled to the protection of this Act do not come under the umbrella of the Tenancy Act; we can not allow that.

Now, to reduce litigation between landlords and tenants and to ensure expeditious disposal of disputes between them. This aspect police are unable to handle. If you look through the police record*, | half the FIRs contain petty cases of acts of nuisance that are takig place between houseowners and tenants, where houseowners and tenants are fighting for the premises under rent. This situation has given rise to urban crime, it has given rise to law and order problems whereby we are bringing about a breakdown of the social structure and the sanctity of the person Constitution which gives a constitutional rights to be able to walk safely in the street. At this point of time I would like to draw your attention that while we should ensure justice to landlords and tenants and maintain tranquillity hi residential areas, no protection should be given to tenants who carry on commercial activities in their flats in residential areas. We must be able to demarcate specific residential zones wherein no commercial activity of any take place and kind can commercia* activity is detected, prosecution should be launched and the penalty prescribed should be much more deterrant than what we have now. ferocity of the tenancy laws and the ability of tiiC tenant or the owner to go to court are burdening our judicial system which is already overburdened with a huge backlog of pending cases.

New constructions have been inhibited increasingly because of the heavy burden of property tax levied by the municipal authorities. The heavy propertytux virtually frightens the owners. And repairs are not carried out because peopli are hoping that the old buildings will crumble whereupon they will get their land back which will be very much enhanced in value. When a owner who has rented out a house ten, fifteen, years ago does not want to repair the house and ignores the damaged condition, then the house proves hazardous. In the recent torrential rains in Delhi many houses, including DDA flats, have developed cracks and problems. There is. therefore.

urgent need for us to enforce higher standards of maintenance of all types of buildings. It has become imperative that the house-owners comply with the building construction rules and regulations. We must make the legislation a little more-elastic so that it permits the owner to get back his rightful house and at the right time, not twenty years later on posthumously.

Then, Sir, there is an appeal which has been sent to Shri Jaswant Singh and I would like to. take the liberty of reading it out to the House where from we will know that we have omitted the, most important class, as I see it. This has been forwarded by the poor owners, poor house owners, agitated Government servants, widows, handicapped persons, etc. who seek protection under the Delhi Rent Control Act. I appreciate that the Nfinistry has taken into consideration ex-Servicemen and the honourable Ministei also has had the vision to include ex* Servicemen. After he has served the country in a transferable job and in non-family stationsi, he comes back and he can get his life savings and buy a house for himself or get back his house with the least litigation. Now, in this, it is said that more than forty thousand cases are pending in the already burdened Delhi courts. A very large percentage of violent crimes in Delhi have often been traced to the strange relationship between the owners and the tenants. On this point. I would like to say here that women are subjected to these crimes more because the husband is away at his job and he is afraid of leaving his house vacant or renting it out and so, he leaves his wife and children behind who are harassed constantly. Either the owner harasses the tenant or the tenant harasses the owner. This kind of crimes and atrocities against women come under this umbrella and, paradoxically, the present

Act has become coiteter-pfoductive, people prefer to keep their houses vacant and locked instead of taking the risk of renting them out and this aggravates the problem of housing shortage. In response to the heavy and constant demand from all sections of the society to scrap this, the Government yielded by appointing the Jha Committee to suggest ways and means for amending it. Sir. I request the Government: Do implement the Jha Commission Report, do implement the Charles Correa Commission Report in its true intent and purpose and not seek loopholes in that whereby we have tried the Delhi Rent Control Act in the restricted vision of the coming elections. Please do this. I have full faith in the honourable Minister and I thiuk. that she is .wing to do true justice to this.

Before I conclude, there is one mow point which 1 would like to draw your attention to. While providing relief to the armed personnel and retired Government servants, we have neglected the interests of those who deserve such relief. I want to emphasise this and hence I am drawing your attention to this, the problem of the retired Government servants, widows and handicapped persons who are also owners. This enables the retired Government servants to get the house back within one year. But it makes no such provision for other retired persons and leaves the much older and more helpless persons to fight it out in the courts which takes not years, but decades, for decisions. We also want the applicability of this amendment, as has been mentioned, if it is: to be effective, in retrospect so that the people, who in the past have rented out their houses or who have occupied the houses for the past fifteen or twenty years, can also come under the umbrella of protection from you.

[Smt.Renuka Chowdhury ' Sir I have full faith in the honourable Minister and I express my hope on the floor of this House that the Minister b going to do true justice. If you have the vision of solving any problem, do not take to cosmetic surgery, but try to set right the system that has been " plaguing not only Delhi, but also the other urban] wish this to be a model Rent Control Act so that the other metropolitan places .can emulate it and take the right points from it and adopt them in the

. form. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Now, Mrs. Pratibha Singh.

SHRI JASWANT SINGH (Rtijasthan) . Just one clarification. We are not breaking for lunch?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, w_e are not breaking for lunch.. Yes, Mrs. Pratibha Singh

श्रीमती प्रतिन्ना सिंह (विहार): उप-समाध्यक्ष महोदय, दिल्ली किराधा नियंत्रण (संगोधन) विश्वेयक, 1988 जो माननीय सदन में आधा है, उसका मैं समर्थन करती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदध, 1958 में एक अधिनियम बना था रेण्ट कंट्रोल का, जिसे 30 साल हो गए हैं और इस 30 साल में दिल्ली की मारी परि-स्थित बदल गई. जनतंख्या बदल गई। इसलिए यह बहुन आवण्यक लगा कि यह निवेधक लाया जाए और जैसा कि इस बिल पर बोलते हुए दूसरे मान-नीय सदस्यों ने भी बताया कि हजारों केसेज आज भी द्रिब्युनल में वेडिंग पढ़ें हैं। इस बिल को पास कराने का श्रेम मबसे ज्यादा हमारे प्रभान मंत्री जी-

को .है , और , इसलिए जो मजान-मालिक हैं; उनके घर वालों की तरफ से, जो हजारों की संखा में नहीं बिल्क लाखों की संख्या में हैं, मैं धन्यवाद देती हूं। साथ ही मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने महनत कर के यह बिल यहां पास कराने के लिए लाए हैं यह बिल सिर्फ इनी सदन में नहीं बिल्क लोकसभा में लाबा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इमे प्रेसीडेंट महोदय की स्वीकृति भी मिल जाएगी।

उपसमाध्यक्ष महोदया, इस बिल के तीन उद्देश्य हैं : (1) मकान मानिक और किरायेदारों के बीच संतलन, (2) मकान निर्माण को बहाबा देने के साथ-साथ उसकी उचित मरम्मत आदि की व्यवस्था करना तथा (3) मकान मालिक किरायेदार के बीच के मकदमे उपसभाव्यक्ष महोदय, इसकी कई समितियों, मंख्याओं और आगेताइ-जेशन्स में जरूरत महनस की गयी है। आर्थिक प्रशासन सुवार आयोग ने 1982 में अपनी 11वीं रिपोर्ट में रेंट कंटोल एक्ट में स्धार की खिकारिण की है। राष्ट्रीय भहरी आयोग ने भी 1987 में अवनी इंटरिम रिपोर्ट में रेंट कंटोल की आवश्यकता बतायी। उस ने स्पष्ट कहा कि लोग मकान वनाने के निए प्रोहसाहित नहीं हो रहे हैं और इस में कारा लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिल्ली किराया नियन्त्रण कानुन इसमें त्राधक है। नेपा खासकर यह कहता है कि धनी वां इसलिए मकान नहीं बाग रहे हैं ताकि वे बैल्थ टैम्स से वच जाएं और दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल पहले हमारे लोगों के जो मकांत वने थे, उन यकानों में रह रहे हैं। महोवय, प्राप्य सना की निरोधन

कर्नेटी ने दिल्ली गहरी मकान मालिक कल्याण संस्था की पिटीशन पर गहराई से गौर कर के अपनी सिफाशि रेंट कंट्रोल एमेंडमेंट के लिए दी है। यहां तक कि दिल्ली में "सार्क" में भी जब हार्जीसग प्रोब्लम्स डिसकस हुई थीं तो उन्होंने भी विचार-विमर्श के दौरान यह सिफारिश की कि रेंट कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली की हाउसिंग प्रोब्लम में कोई सुवार नहीं द्या सकता है। इसलिए माज यह जो संशोधन सरकार लायी है इसके लिए वह धन्याद की पान है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ग्रापने 3500 की जो सीमा रखी है, तो क्या यह सोचा गया कि जो 3500 किराया देता है, उसका मासिक खर्च क्या होता है? किराये के बाद फिर विजली का बिल, पानी का बिल, खाने पर खर्च और नौकरों पर खूर्च--यह सब मिलाकर 12-15 हजार से कम खर्च उसका नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी आमदनी 20 हजार से ऊपर होगी। जो लोग डिफेंस कालोनी, गोल्फ लिंक ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 और 2 में रह रहे हैं उनमें ज्यादातर मल्टीनेशनल्स के बड़ी-बड़ी कंपनीयों के लोग हैं, डाक्टर्स हैं जिनकी कि कमाई एक-डेढ़ लाख रुपये तक है या बड़े-बरे व्यापारी लोग हैं। उनके पास लीगल सेल हैं। लेकिन जो हमारा मकान मालिक है उसको एक तो मकान नहीं मिलता दूसरो तरफ उसके पास यह सारे इतजामत नहीं हैं। होता यह है कि कई-कई वर्षों तक उन्हें किरायेदारों से निगटने कै लिए कोर्ट और कवहरी जाना पड़ता है जिसमें उनके दर्जनों जूते घिस जाते हैं। महोदय, झा:कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट 2465 RSS/88-19

Delhi Rent Control

में सीमा 1500 की निर्वारित की है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि इस बारे में और भी सदस्यों ने कहा है क्योंकि मंहगाई ग्रधिक हो गयी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि श्राप साड़े तीन से कुछ नीचे उतरें यानि दो या ढाई हजार की सीमा रखें ताकि कुछ लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगी कि जो सीमा द्वारा संरक्षण के बाहर हैं, उनका मकान कितने दिन में खाली होगा। मैं तो कहती हूं कि तीन महीने के नोटिस पर मकान खाली कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। झाप इस विल या इसके बायलाज के द्वारा किरायानामा रजिस्टर्ड हो, इसकी जरूर व्यवस्था करें। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि इससे ग्राज जो प्रिमायसेस का मिसयूज हो रहा है, वह घट जाएगा और वह मिस-यूज कैसे हो रहा है? क्योंकि रिहाइश के लिए धाप जब कोई भी डाक्यूमैंट साइन किरायानामा करते हैं तो कम किराया होता है और रिहाइश के लिए लेकर उसमें ग्राप नॉसंग होम खोल दें या और कुछ खोल दें तो जाहिर है कि आपकी आमदनी में और मकान मालिक को जो किराया मिलता है उसमें कोई संतुलन नहीं है और धापके डिपार्टमेंट को जानने का कोई तरीका नहीं है, वह कैसे जानेंगे कि किसका दोष है। इसलिए मिस-यूज के लिए भ्राप कोई भी पैनल्टी नहीं लगा सकते।

Dtlht Kmt Control

291

इसके उदाहरण में मैं कहंगी कि जैसे रिहाइश के लिए डाक्टर लोगों ने पोश कालोनियों में मकान ले लिए और उनमें निसंग होम खोल दिए। क्या मंत्री महोदय जानती हैं कि पूरी दिल्ली में चार नींसन होम हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है ? लाइसेंस लेने का मतलब क्या है कि उनको अपनी साल भर की धामदनी का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। तो वह सरकार को भी मार रहे हैं, क्योंकि उसे सरकार को कुछ नहीं देना पड़ रहा है और मकान मालिक को भी मार रहे हैं क्योंकि उसकी कर्माशयल युज के लिए जो किराया है वह नहीं देना पड़ रहा है और साथ ही साथ लिटिगेशन में भी तबाह कर रहे हैं। तो मैं आपने यह गुजारिश कहंगी कि एक तो भ्राप डाक्मैंट को रजिस्टर करवाएं जो किरायानामा है और दसरे जो पैनल्टी आप लगाते हैं वह हाऊस आवनर्ज पर न लगाकर के झगर जाप किराएदार पर लगाएं मिस-यूज के लिए तो मिस-यूज अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि जब तक आप मिस-यूज की कोई सजा नहीं देगे, मिल-युज खतम नहीं होगा। इस पर झापको विशेष ध्यान देना चाहिए।

दूसरी चीज कि झगर किराएदार-मकान मालिक किरायानामा लिखा है और उसका जितना समय है वह खतम हो जाता है तो मकान मालिक को यह श्रधिकार होना चाहिए कि झामे वह रिन्यू न करे, वह उसकी मर्जी पर होना चाहिए। ' ' (समय की घंटी) . . . हुजूर, दो चार बहुत जरूरी क्लाजिज हैं इसलिए योड़ा समय और चाहती हुं।

उपसभाध्यक्ष (भी हेच • हम्ममतप्या): जितना समय भापने मांगा था, उतना समय दिया है। जल्दी खतम की जिए।

(Amdt.) Bill, 1988

श्रीमती प्रतिना सिंह: प्रगर किराए-दार मकान मालिक पर, जैसे मैंने कहा कि दोहरी मार नहीं पड़नी चाहिए और इसके बारे में हजूर सुप्रीम कोर्ट ने एक-भ्राध जजमेंट भी दिया है कि पैनलटी जो है वह किराएदार पर हो, तो इस लिए इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इस खण्ड के संशोधन से किसी भी गरीव किराएदार को नकसान नहीं होगा। नए मकानों को किराएदारी नियंत्रण कान्न से 10 साल की छूट दी गई । इससे मकान बनाने का इन्सेंटिव जरूर दिया है पर यहां पर यह भी देखा जाए कि रेन्ट फोजन नहीं हो. उसमें ढीलाहट न हो ताकि समय के अनुसार वह सके। सरकार की सिन्सियरिटी तो जाहिर है और मैं समझती हं कि हाऊसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रापने 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था करके एक हाऊसिंग नैशनल वैक की स्थापना की । इसी के साथ मेरा निवंदन है कि आप इस बिल में पुराने जिल के सैनशन 14 के एच का इस बिल के सैक्शन 8(1) में वर्ड बिल्ट को ओमिट कर रहे हैं, यह गलत है। उसे रहने दिया जाए।

Existing Clause (R) of Section 5.H provides that a tenant can be evicted when he has built or acquired vacant possession of a residence.

तो इसमें से आप जो बिल्ट हटा रहे हैं तो यह छट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने मकान बना लिए हैं और यह किराए में यह रहे हैं और उनकी छूट

मिल गई दस साल की ं गकान मालिक हैं, जिन्होंने पह ंनीया था, उस गरीब को व गारें। इसलिए मेरा प्रायह ह ं बिल्ट शब्द को यहां द्यान रहते ः भापने सेन्शन-9 में सरकार की . श्र कसरों, तया दिल्ली-प्रशासन के उनके रिश्तेवारों इत्यादि को ारों से खुटाने की सुविधा दी है ा भेरा सुझाव है कि इसमें सभी ा हसर होते चाहिए तीचे के : ावेस्ट नेवल के स्टेट नेवल के की भी भाप लोजिए और जिसमे ं निने<mark>शन</mark> नहीं मालूम हो। रिटायडं ं निए भाग खुद ही एमेंडमैंट ले ाकिन मेरा यहां पर कहना है f ं विश्व-वाओं को जरूर जोड़ा ज - सिके बारे में मैंने एक एमेंडमैंट ंदार है सीर जिसकी ग्राप लोग ं वितार भी कर रहे हैं। क्योंकि **अस्त** बहुत खराब है। न वह रख सकती हैं न कोई और रः ः हैं। एक दिन पहले वह घर क होती है लेकिन विधवा होने प नोई प्रष्ठ नहीं होती। भगर उनके ा पति ने उनको मकान दिया 🖟 उनको सुविधा हो जाती है।

293 Delhi Rent Control

इसके साथ ही धपाहिज े ायर्ड कर्मचारी, देश के स्वतंत्र ंियों को भी यह सुविधा मि ंहिए एम.पी. और एम.एलएज भी यह स्विधा मिलनी चाहिए, भी भजानक सरकारी मकान छो 'ਜਾਂ हੈ. एक सीमित समय के अंदर 👉 ंशिया मिलनी चाहिए। जहां 🖘 ः स्कार किराएदार हो, वहां सौन स्पाय मकान खाली कराने के सिए 🦙 ाए.

यह भी व्यवस्था ब्राप की जिए। जहाँ तक किराया बढ़ाने का मधिकार है वह तो भाष महंगाई के रेशियों से जोड़ दें तो मेरे ख्याल से मच्छा होगा क्योंकि भापने इसमें 10 परसेंट जो ऐक्सूब्रल कास्ट आप लेंड या कंस्ट्रक्शन है वह इसमें जोड़ा है। इसका हिसाब किताब मेनटैन करना मध्यम वर्ग के मालिक के लिए कठिन होता है। इसलिए उनको इजाजत दी जाए कि वे झास-पास के कंस्ट्रक्शन कास्ट का हिसाब लगा कर फायदा उठा सकें।

15 परसेंट इंटरेस्ट जो किराया न देने पर भ्रापने किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद । ट्रिब्यूनल में हजारों मुकदमे पड़े हुए हैं। उनमें एक ही ग्रपील हो सकती है। मेरा कहना है कि भाप समय सीमा निर्घारण करें, लेकिन जो घापने यह कहा है कि एक ही भ्रपील हो सकती है, इसमें फैक्ट के प्वाइंट की मी प्राप जोड़ें क्योंकि फैंक्टस के सवाल पर गलती हो सकती है। इसलिए उसकी ध्रपील करने की इजाजत फैक्टस सर्वाल पर भी मिलनी चाहिए। रेंट कंद्रोल की धारा 29 के ग्रागे **ध**पील नहीं है। किन्तु रेंट कंट्रोलर मकान की खराबी या टूट-फूट के लिए डेमेज दिला सकता है, इससे राहत मिलेगी। रिहाइस के लिए मकान खाली करने पर तीन साल के बीच किराया देने पर पैनल्टी रखी है जिससे गरीब किराएदारों की प्रोटेक्शन मिलती है, यह रोक इसलिए लगाई गई है कि मकान मालिक सिफं धापने रहने के लिए ही मकान खाली करा सकता है। (समय की घंटी)

इसलिए मैं इस बिल का समयेन करती हं और ग्राशा करती हं कि इसे इसी सेशन में लोकसभा में भी पारित कराकर सरकार कातून बनाकर लोगों को राहत दिलाएगी। इसमें लिखा है कि मह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करें। इसकी जगह यह जिखा जाए कि यह कानन बनने के साथ हो लागु होगा। इस पर मैंने संशोधन दिया है। संशोधन दिया है सेक्शन 2 को याती डिलीट की जिए या यह लिखें कि जैसे ही दोनों हाउसेज इसे पारित करें और प्रेसीडेंट का ऐस्सेंट इसे मिल जाए वैसे ही यह कानून मान लिया जाएगा। तो मैंने दो अमेंडमेंट दिए हैं। एक विधवा मनान मालिक का और दूसरा कानन तुरन्त पारित होकर लाग होने का तो इसे तुरन्त लाग किया जाए ताकि जिनके लिए धाप यह बिल पास कर रहे हैं उनको फायदा हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रापके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती है कि इस बिल के दो उद्देश्य हैं-एक तो धनो किराएदारों से मिडिल बलास मकान मालिकों को राहत दिलाना तया दूसरा रिहायश के लिए मकान खाली कराना। इसमें मेरे हिसाब से कोई कंटोवर्सी नहीं है। इसलिए मुझे यही कहना है कि जैसे ही इस बिल को लोकसभा से भी इसी सेशन में पारित कराएं, इसे लाग् कराएं ताकि जिनकी भ्राप मदद करना चाहते हैं, उनको हकीकत में मदद मिले और उनके परिवार के लोग ग्राप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे । साथ ही विधवा मकान मालिकन को सुविधा देने और उनको कानून में स्थान देने के लिए धन्यवाद । ें

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, we can examine the rele vance and the effectiveness of this particular piece of legaislation only against two criteria. The first is the stated aims and objectives of the Government in brining this piece of legislation, and the second, is the obvious eough chaos, that is the urban scene, in the country. Now, this particular piece of legislation brought forward by the Government belatedly, however inadequately, nevertheless, tor whatever it is worth, it is still welcome.

The objectives to put them very briefly are firstly, to rationalise rent control, secondly to boost house building activity and, thirdly, to reduce litigation related to rent control. would be coming to examining each of these three propositions in a So far as the urban scene is concerned, I received. a note from a verv Indian for which I am grateful and it would do well if I just quote a few short excerpts from that note which defines the current scene in the country. Of couise, a major area of bungling, as has been stated in this note, is the mishandling of I the rent control law, as a result of which | the small house owners and tenants suffer and it has become impossible to find accommodation anywhere, since the hous? owners prefer keep their premises vacant father than letting them out, a point which has been made by many other speakers also. While affluent tenants live merrily protected by frozen rentals, others, whom we mis-call landlords, they should really be called house owners, they are the ones who sutler, because the word 'landlord' suggests some kind of 'landlordness, and, therefore, I shall be grateful if the hon. Minister listens to the point that I am making.

Now, in regard to rental*, two (simultaneous phenomena axe witnessed in the urban scene, escalating land prices and incredibly high rental values. obscenely high, no new construction being taken up and courts clogged with litigation relating to rentals. I have been note by this given instances in this eminent Indian, where he has stated, and I am sure the hon. Minister will be aware of them that the rentals in Delhi have reacbet incredible figures, vulgarly obscene figure; like Rs. 50,000 a month. Indeed an exa mple has been given to me here of : house in Vasant Vihar, there is no tellini of tastes. particular house was, o course, constructed all over with marbls including the surrounding Now this particular house in Vasant walls. Vihar i fetching a monthly rent of Rs. 3 lakh: whereas the monthly of Rs. 3,00,000 a month...

AN HON. MEMBERS: Is it a palace?

SHRI JASWANT SINGH: No, it is not a palace. It has marble all over and the rest of it. I do not want to go into the details. 1 have the details of who owns this houie and who the tenant is. Cut the fact is that there is a house in Delhi, fetching 3.00.000 monthly, then surely there is something wrong somewhere. Now, in the entire set up of what is rent control in Delhi, theie is chaos. And, of course as has mentioned by a number of other been speakers the re-latiens between 'tenants house-owners have deteriorated alarmingly. Morality which is an aspect of the urban scene, which we must take into account, in tact one of the contributions of the chaos that is the urban scene is the coming of this word 'pugree'. 'Pugree' for us in rural India means an headgear. But pugree in urban India has come to acquire a meaning of its own and its current rate is universally understood. That has

not *to* be explained. Pugree has bacome a part of life of urban India. And this is an index of the decline of morality as a contributory factor morality in the chaos that is urban India.

To come back, however, Sir, to this particular piece of legislation, the aim of this piece of legislation is to reduce litigation, to increase house-building activity and to reform rent control law. Then, I am afraid, however welcome a step it might be, it does not go sufficiently far and if it does not go sufficiently far then I have to submit that there must be .pressures on Government, which gives the good intentions with which it has brought forward this legislation, are so strong that it is unable to contain them, confront them, overcome them and come forward with a piece of legislation which is whole, which is harmonious and which indeed subserves the basis which it itself has stated as the objects. The first point

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रवेश): ग्रापने जिस तीन लाख रुपये किराये के मकान क जित्र किया है, क्या ग्राप उस मकान का मुहल्ला और मकान नम्बर भी बता देंगें?

श्री जसबंत सिंह: मुहल्ला तो बता दिया है, बसंत विहार में है।

I don't think the concern of the Parlia ment is about the sanity of rental c Rs. 300,000; it is illustrative of a illness.

About this aspect of the ceiling Rs. 3500[- I would request the he Minister to please share with us and gi me two answers on this question of t ceiling of Rs. 3500- as to what elite you applied in arriving at this figu Why this figure of 3500? Why not 34

· [Shri Jaswant Singh]

299

or 3600 or 3750 ? Unless, therefore, I am able to understand the reasoning that is behind it, I find it very difficult to accept it for reasons which I will give subsequently. Jha Commission bekanmoosi Rs. 1500 per month and from Rs. 1500 you have gone on to Rs. 3500. I am sure you applied your mind to it. So, what is the criteria you adopted. I have been given some of these figures by my charming colleague, Shrimati Renuka Chowdhury. She quoted this figure, that of the 600,000 houses in Delhi, only 4000 plus or minus - approximately 4000 are having a rental of above Rs. 3500 a month, which is less than one per cent of the total available housing which can be rented out. Am I to assume that the Government of India is bringing forward a legislation only for that less than one per cent of the housing? And it is for less than one per cent of the housing, then certainly none of the three stated objectives of this particular piece of legislation will not be v****

My next question is, which I request the hon. Minister to clarify-hon. Minister might not immediately have the answer; but nonetheless she might conduct an investigation - that of the existing litigation in Delhi, relating to rent control What perchage of the litigation is of rentals above Rs. 3500 or of Rs. 3500 and what percentage is of less than that. If an examination were to be made of these figures, she would find that 95 per cent of the litigation is of rentals below Rs. 3500, and only 5 per cent is above that, which is a minimal percentage of this igure. Therefore, I have great difficulty with this figure and I would earnestly rajuest the hon. Minister to re-examine the eiling of Rs. 3,500. (Time bell rings). I vill be brief. I know that my time is limied in this.

Then there is the question of ten-year reedom that has been given, as a measure

of encouraging house building. There are two aspects. This by itself will not encourage house building unter; the totality of the atmosphere of rent control is improved. Earlier you gave a holiday of five year. Now you make it ten years as you found that five-year holiday was not succeeding whereas by bringing in this piece of legislation, you are going towards creation of a more judicious climate for rent control. Ten-year holiday by itself will not suffice. I would also submit to the hon. Minister to examine whether this ceiling of Rs. 3500 and the period of ten years is not going to be violative of article 14 of the Constitution.

Now, I have just two or three points to make. One relates to clause 8 of this particular Bill. Cause 8 creates some difficulty. It is strange that it has been incorporated. In the principal Act, there is section 14. It lays down various grounds on which a tenant could be evicted. Among them there is a clause providing for eviction of a tenant where the tenant has, whether before or after the commencement of this Act. Built, acquired vacant possession of or been allotted a residence. The intention of this clause was obvious.

2.00 p.M.

Where a tenant has another premises other premises, he should vacate the premises he is occupying in respect of which he is enjoying the protection of this Act. The framers of this amending Bill and the Government have sought to exclude the word 'built' from this provision. That is, where a tenant has built his own premises. he will continue to receive the protection of this Act. But where a tenant has acquired vacant possession of, or been allotted, a residence, he will not be allowed this very protection. There may be a logic in this. I have failed to find it. Would the hon. Minister please explain to me why this word has been omitted ?

I welcome the fact that the hon. Minister herself brought forward an amendment to the Bill extending the benefits of Defence services to Central Government employees as well as the employees of the Delhi Administration. There are other people also. Mention has been made earlier about widows and handicapped. Indeed, my esteemed colleague, Mr. Morarka, made the point that, perhaps, the greatest beneficiary of this Act are going to be the Government servants, only. That is a very valid There are employees in other point. areas. You have given a specific benefit to Government servants. By itself, to me, that is welcome enough. But it does not go far enough because the bondage of rent control, the tyranny of rent control, still remain on very many others who are equally deserving. I would have categorised the list of those who are equally deserving But I do not wish to do so because that will take the time of the House.

Then, Sir, in clause 12, there is a mention about private trusts. I understand, by 'private trusts', the Government does not mean public charitable trusts. If an institution is run in a medical clinic, if a charitable trust is running a clinic, private clinic, admittedly, it is running it on hired premises. Would the Government clarify what exactly do they mean by this? There is no definition here.

One final point. This is in regard to the business of 10 per cent hike and 10 per cent return. An admirable point made by my esteemed colleague, Mr. Morarkawe both come from the same State—is that it is all right that you give this 10 per cent provided you have brought the entire previous mess to a certain uniform level. You can say that not more than 10 per cent return and 10 per cent like is il that you are going to give. Ten per ent plus 10 per cent. But at least, clear he past backlog. There are many premise on rental. There is the case of a former Member of this House, Sardar Khus-

want Singh. His premises in Sujan Singh Park was taken away during the Second World War at Rs. 260/- per month and they remain at that. Therefore, first of all, you have to clear that backlog and bring the entire thing to one level. Then you can say that you will not give more than 10 per cent return and 10 per cent hike. But this by itself makes no sene. There is great sense in what my colleague, Mr. Morarka, has said. You have to index it first. Only then you can clear out of this jungle of rent control.

Sir. as I said, I have difficulties with this Bill and I have listed those difficulties. Nevertheles, though belated, it is a welcome measure and I give my reserved approval.

Thank you,

(श्रीमती) नाजमा हेपत्रसा (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं इस ! बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। महोदया, मैं मोहसिना जी को इस बात की बधाई देती हूं जो बे हजारों मुसीवतों के बाद भी इस बिल को सदन के सामने लाई हैं। बहुत दिनों से इस बान की चर्चा थी कि दिल्ली रेंट कंट्रोल के ऊपर कोई संशोधन सरकार सदन के सामने रखने वाली है। मेरा भी एक बिल था, जो मैंने दो-तीन साल पहले पेश किया था। मगर बह सैप्स हो गया क्योंकि उस समय मैं **इ**स क्सी पर जिस पर ग्राप बैठी हुई हैं. इलेक्टेंड हो गई थी। इसकी वजह से वह बिल लैप्स हो गया था। लेकिन ग्राज इस बिल पर बहस करने का हमको मौका मिला है। महोदया, मेरा कहना है कि तीन चीजों की इंसान को प्रपनी दिवनी में जरूरत होती है। रोटी,

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपत्रस्ता] कपड़ा और मकान और मैं समझती हं कि ग्रगर रोटो और कपड़ा मिल जाए और उसके सिर्पर छत नहीं हो तो उसके लिए दोनों चीज बेकार हो जाती हैं। जो तीन ग्रहम चीजें इन्सान की जिन्दगी में हैं उनके लिए जो कुछ हमारी मरकार कर रही है और युनाइटेड नेशंस ने भी जी एक सोमा मुकरर की थी कि हर एक को घर मिलना चाहिये तो इसके अन्तर्गत यह जो संशोधन लाए है इससे मुझे लगता है कि जो मोहसिना जी ने कहा है कि विल्डिंग एक्टीविटी बढ़े, लोग घर ज्यादा बनाएं और जो ब्रापस में टेनेट्स और हाऊस आनर्स के बीच में मनमुराव होता है वह दूर हो जाएं। हमारे माननीय सदस्य जसवंत सिंह जी ने भी कहा, लैंड लार्ड की बात पर मैं भी ओब्जे क्शन कहंगी। मान्यवर, लार्ड तो यहां से चले गये भाज से 40-41 साल पहले भव तो लाई रहे नहीं और जो लैंड है वह दूसरों के कब्जे में है यहां समाल करता जबकि न लैंड है न लाड़े यह कुछ श्रजीब सा लगता है। मैं मोहसिना जी से कहुंगी कि लीड लाई शब्द को वे हटा दें और लाई का जमाना भ्रव चला गया है ग्रज तो सब बेचारे गरीव लोग रह गये हैं इस देश के अन्दर। दूपरा मैं एक ग्राम मददा ग्रापके सामने रखना चाहती हं। मैं बम्बई से झाती हुं जहा पर हाऊसिंग की सब से ज्यादा समस्या है। दिन्ती तथा बम्बई के म्रन्दर हाऊसिंग की मुक्किल हैं। मैं यह उम्मोद करूंगी कि हम यह एक ऐसा कम्प्रेसिव विधेयक लाएं जिससे सारी दुनियां में एक मिसाल कायम हो और खास तौर पर बम्बई और दिस्ती जैसे शहर के अन्दर इस तरह का संशोधन लाएं। मैं सरकार से निबेदन करूंगी कि क्योंकि हम कार्कसिल ग्राफ स्टेट्स में बोल रहे हैं हम ग्रपनी श्रपनी स्टेट्स को रिप्नेजेंट करते हैं जो यह विधेयक रेंट कंट्रोल का ग्राया है तो मोहसिना जी श्रपने गड-ग्राफिसेज का इस्तेमाल कर के भ्रपना चार्म, इत्पलु-र्येस और दायलेंस भ्रगर कर सकें जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, यह हमारे शहर के उत्पर भी लागु करने की कोशिश करें। क्योंकि बम्बई में यह हालत है कि लीग पुरानी विल्डिंगो में रहते है और बहुत कम किराया देते हैं। हाऊसेज की शार्टेज है चाहे वह बिल्डिंग गिर जाए मर जाएं मगर घर नहीं छोड़ते है। जो मकान मालिक है वह उसकी रिपेग्रर नहीं कर सकता है क्योंकि उसका किराया इतना कम है कि उसकी रिपेग्रर करना तो दूर रहा उस किराये की वसूल करने के लिए कोई नौकर भी वह नहीं रख सकता है जिससे वह उस मकान का किराया दसूल कर सके। वहां जो पहले सोज लाइसेंस का तरीका था जिसके जरिये कंट्रेक्ट करते थे कि वह 11 महीने के बाद उसको दोबारा ने लेते थे वह तरीका भी मब खत्म कर दिया गया है। इससे इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां मैं चन्द बाते हा असिंग के बारे में कहना चाहंगी आंर इस पर ग्रब लोगों ने बोला है। मैं पिछले साल टर्की गई थी। वहां मैंने देखा कि उन्होंने हार्असग की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है। वहां एक ऐसा फंड बनावा गया है हाऊसिंग डवलपसेंट फण्ड जिसके जरिये से लोग उस में पैसा जमा करते हैं। उस में बैक की तरफ से लोन मिलता है और उससे वहां उन्होंने धपनी हाऊसिंग

की समस्या का काफी सुधार कर लिया है। मैं मोहसिना जी से बहना चाहंगी कि जैसे टर्की के अन्दर इस समस्याका हल किया गया है वे भ्रपने देश में भी यह देखें कि किस तरह से उन्होंने बढ़ाया है और उसके भ्रनुसार यहां पर भी कोशिश करें। यह जो 3500 रुपये का मामला है यह काफी लोगों ने उठाया है। झा कमीशन को रियोर्ट थी वह 15 सी रुपये की थी मैं यह नहीं कहंगी कि 15 सौ ही रखी जाए मगर कोई ऐसी सीमा निकालें जिससे स्नाम लोगों को जो मध्यम स्तर के लोग हैं उनकी हाऊर्सिंग की समस्या दूर हो और यह सिर्फ बड़े श्रादिमयों के लिए नहीं हो। मगर मझे यकीन है कि दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट बनने के बाद बहुत से ऐसे मकान जिनके किराये बढ़ जाएंगे वह उस सीमा के श्रन्दर ग्रा सकेंगे। मोहसिना जी ने जो सादे सात से दस परसेंट किया है तो यह झा कमीशन ने 10 परसेंट का सजेशन दिया था वह सिर्फ इसलिए दिया था कि जो कुछ खर्च होगा रिपेग्रर का और जो टेक्सेज वगैरह होंगे वह टेनेंट को देने पड़ेंगे चुंकि भ्रव यह मकान मालिक के जिम्मे हो गये है इसलिए मुझे लगता है कि 10 परसेंट कूछ ज्यादा फीजिबल नही लगता है। कोई भी इन्सान भ्रापना पैसा किसी चीज में इसलिए लगाता है कि उसको भ्रामदनो हो। कोई पब्लिक सर्विस के लिए मकान बना कर के नहीं रखता है। वह किराये पर इसलिये देता है कि उसको प्रामदनी हो अगर उसको इनवेस्टमेंट पर 10 परसेंट भी नहीं मिनेगा कौन होगा जो तीन चार परसेंट के लिए अपना मकान बना कर किराये पर देगा जबकि बैकों 2465 RSB/88-20

के प्रन्दर या पब्लिक सेक्टर **के श्रन्दर** इनवेस्ट कर के उसकी 10 से परसेंट तक रिटंन होता है। इसलिए मैं चाहंगी यह हो अगर मोहसिना जी और सरकार यह चाहती है कि हाऊसिंग एक्टिविटी बढ़े। जो हमारे देश के अंदर एक तरह से फिनामिनल तरीके से रेंट बढ़ा है वह हाऊसिंग की शाटेंज होने की वजह से बढ़! है। आप इसकी ऐसी सीमा राखए ताकि लोग सकानों के अंदर पैसा लगायें और उनको उसका बराबर िटनं मिले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को किसी दूसरी जगह पर नहीं रखना चाहते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं चाहते है कि बैंकों से उनको इंटरेस्ट मिले वे इसको गलत मानते हैं, कुछ सेक्टर है खास तौर से मुस्लिम लोगों में। ये घर बना देते हैं उनके किराये से उनको आमदनी होती है। अगर उन्हें उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो किस तरीके से विल्डिंग्स के अंदर लगायेगें क्योंकि उनका मकान हमेशा के लिए दूसरे के नाम लिख गया और वेकार ही हो गया। इस क्लाज के ऊत्पर मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री जी ने एक चार्ल्स कोरिया कमेटी बनायी थी। उस कसीशन ने सजेशन दिया था कि इन्प्लेशन के लिहाज से किराये में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। आज मकान वनाना कितना महंगा हो गया है, सीमेंट महंगी है, लकड़ी महंगी है, दूसरी सामग्रियो महंगी हैं। मकान बनाने के लिए जभीनों के भाव बेहद बढ़ गये हैं। सरकार कोई जमीन लेती है और डी.डी.ए. आदि की तरफ से मकान बनाने वालों को देती है तो उनके रेट्स बढ़ गये हैं। इस लिहाज से और इपये [बा॰ (श्रीमित) नाजना हैपतुह्ला]
का इन्पलेणन देखकर किराये बढ़ने चाहिए
और दूसरा जो चाल्मं कीरिया कमेटी ने
सजेणन दिया था बह था कि 1-1-87
को उन्होंने कट आउट डेट दी थी।
इसलिए अगर सरकार कोई मीमा मुकरंर
कर दे कि कहां से 10 परसेंट बढ़ाया
जायेगा तो मैं समझती हूं कि यह ज्यादा
अच्छा है बरना यह कभी पता नहीं
लगेगा कि कब से किराया बढ़ाता है
कब से नहीं बढ़ाना है। इस पर आज
जितने लिटीगेशंस सरकार के कोर्टस के
सामने है उससे कही ज्यादा इस सिलसिने
में आ जायेंगे।

दूसरा, मोहसिना जी यह आपने 1988 से शुरू किया है। आपने 10 साल की छूट दे दी है। लेकिन अगर किसी का मकान 10 साल पहले में लिया हुआ है और उसने भी 10-20 साल पहले से बनाकर रखा हुआ है तो उन लोगों को इस विशेषक से कोई फाअदा नहीं है। मैं आपसे यह बिनती कहंगी कि आप इस बारे में गौर करें क्योंकि जिन लोगों ने पहले से बनाकर रखा हुआ है वे आज से 10 साल तक और आराम से रहेंगे तथा मकान खानी नहीं जरेंगे।

मैं इसमें एक खास बान औकाफ प्रापर्टी के बारे में आपके सामने लाना चाहूंगी जो हजारों और लाखों की प्रापर्टी है और बहुत ही कम रेंट पर गयी हुई है। आपको मालूम है कि कोई भो शक्स अपनी प्रापर्टी या अपना मकान जायदाद इसलिए दक्फ करता है तार्कि उससे कुछ आमदनी हो और वह लोगों के फायरे के लिए भी इस्तेमाल को जाये, जाती फायदे के लिए मही हो। जो

किर्नेग्यापिस्ट सोग हैं उन्होंने मदरसा चलाने के लिए प्रापर्श दी है, मस्जिद के फण्ड्स के लिए दे दी है, मन्दिर के लिए दे दी है या इसे तरह से वस्त से ऐसी मदद के लिए उन्होंने अपनी प्रापर्टी वश्फ कर दी है। आज लाखों करोड़ों की प्रापर्टी मुस्लिम वक्फ की है। इसके बारे में मुझे मालुम है क्योंकि जो वक्फ अमें डमेंट के ऊपर कमेटी बनी थी उसमें मैंने काम किथा है (समय को घंटी) उसमें लाखों करोड़ों की **प्रापर्टी रेंट प**र दी हुई है और इतना नामिनल रेंट है जितना नामिनेल कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं। उसमें मुश्किल से जितना पैसा मिलता है उससे वह प्रापर्टी रिपेयर भी नहीं हो समती है। रेंट कंट्रोल और टेनेंमी का बहाना लेकर लोग उस पर कब्ज। करके वैठे हैं और वह प्रापर्टी जिससे कि आम लोगों का फाधदा हो सकता था जो अवाम की, जनता की भलाई के निए किसी ने अपने बच्चों का, अपना हक मारकर या अपने ऊपर तकत्रीफ उठाहर पैसा जमा करके बना कर दी थी वह लाखों करोडों की प्रापर्टी आज चंद टवों के लिए दबी हुई है और इसमें हम कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोजल वेल्फेयर मंत्री हैं वे भो इस बारे में सोच रही थी जब हमारा डिसकान हो रहा था। तो मैं सरकार के सामने यह बहुत ही दस्तवस्ती गुजारिश करूंगी कि मेहरवानी करके आप इस औकाफ को इससे बाहर निकाल दीजिए ताकि जो वक्फ की प्रापर्टी है वह निकल सके और अपने पाव पर खड़ी होकर लोगों की भलाई का काम करें। मैंने धड़ी चंद बातें आपके सार रखी है। मैने विडोज के बारे में

अमेंडमेंट दिया है और इस पर प्रतिना सिंह जी भी बोली। उन्होंने एम.पी. और एम.एल.ए. के बारे में भी बोला। हम लोगों की और हमारी भी वही हालत होगी। मेरा तो कोई मकान है ही नहीं, मेरे हसबैंड का है। जब तक मैं उनकी बीबी हंतब तक मेरा है और बाद में पता नहीं भेरा क्या होगा। मगर मान्ध-वर, दिल्लो में तो मेरा कोई मकान है ही नहीं। मेरा इससे कोई जाति त(ल्लुक नहीं है, लेकिन जिन लोगों के मकान हैं वे एम.पी. हैं। जब तक वे एम.पी. रहते हैं तब तक उनके पास सरकारी मकान रहते है लेकिन जब वे एम.पी. नहीं रहेंगे तो वे किश्वर जायेंगे? एक हमारी एम.पी. हैं इस हाऊस की, पता नहीं उनका नाम मुझे लेना चाहिए या महीं, वह कल ही कह रही थीं कि उनका मकान कितने कम किराये पर कब्जा करके रखा हुआ है और वह खाली नहीं करते हैं। वह सोचती है कि अगर जब कभी इलैक्शन होता है और इलैक्शन के बाद अगर कहीं उन्हें पालियामेंट की भैंबरशिप से जाना पडता है तो उसके बाद उसको सिर छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। तीसरी बात, माइनर चिल्डुन की वात मैं कह रही थी THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H.

HANUMANTHAPPA): Last point. DR. (SHRIMATI) NAIMA HEPTULLA: This is the last point. Also, I am not a minor child; I do not come under that category. But I am speaking for minor children.

उनके लिए भी अगर आप देखें कि अगर किसी के बच्चे माइनर होते हैं तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कही से कोई आमरनी हो और मां-बाप उनके लिए इसीलिए असोसा छोड कर जाते हैं ताकि मरने के बाद वह उनके किसी काम ब्राए, लेकिन वह दूसरे लोगों के कब्जे में रहता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है चाहे वे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के हों झाप जरूर उन्हें इसके अन्दर लेकर ग्राए हैं।

उन के लिए मैं मुबारकबाद देती है। लेकिन जो नौकर काम करने वाले होते हैं, कोई प्राईवेट सैक्टर में भी काम करते हैं उन को भी मकान कंपनी की तरफ से मिलता है। क्या वजह है कि हम डिस-किमिनेशन एक सर्विस से दसरी सर्विस में करते हैं ? अगर हम यह डियकिमिनेसन करेंगे तो लोग कहेंगे कि सरकार विकं सरकारी नौकरों के बारे में सोचती है और दूसरी एम्प्पलाईज के बारे में नहीं मोती जो कि प्राईवेट सैक्टर पा भ्रन्य जगतों पर नौकरी करते हैं। तो मैं यह साइती ह कि जिस शक्स के पास महान नहीं है, बाहे वह सरकारी मुलाजिम हो, चाहे यह प्राईवेट सैक्टर का मुलाजिम हो, चाहे किथर भी नौकर नहीं हो, उसकों ग्रथमी जरूरत के लिए महान जो है वह उस को श्रदश्य मिलना चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं मोहसिता जी को एक बार फिर मुवारकपाद देती; हूं और वह जो यह जिन लाई है क्रुपया इमको आप लोक सभा मे भी पास करका दीजिए और उसके बाद इसको इम्प्लीबेंट भी करवा दीजिए सभी मुझे लगता है कि यकीनन इस का उद्देश्य पूर्ण होगा।

भी राम भवधेश सिंह (बिहार) : संशोधन के साथ ?

डा. (श्रीमती) नाजना हेपतुल्लाः हां, हमारे संबोधन के साथ इनको पास करवा दीजिए।

†[15كثر (شريمتي نجمه هيبت الله (سهاراششر) : آپ سبها پتی مهودیه -میں اس بل کا سمرتھن کرنے کیلئے کیڑی ہوئی ہوں ۔ سہودیہ ۔ سین محسنه جي كو اس بات كي بدهائي ديتي هوں جو وہ هزاروں مضيبتوں کے بعد بھی اس بل کو سدن کے سامنے لائی ہیں ۔ بہت دنوں سے اس بات کی جرچا تھی کہ دھلی رہنٹ کنٹرول کے اوپر کوئی سنشودهن سرکار سدن کے سامنر رکھنے والي ہے۔ میرا بھی ایک بل تھا ۔ جو میں نے دو تین سال بملے پیش کیا ،ھا مگر وه ليس هو کيا کيونکه اس وقت میں اس کرسی پر جس پر آپ بیٹھی عودً هيل اليكث هو كئي تهي - اسكي وجد سے یہ بل لیس هو گیا تها- لیکن آج اس بل پر بعث کرنے کا سوقع ہم کو ملا هے - سہودیہ میراکہنا ہے کہ تین چبزوں کی انساہ کو اپنی زندگی میں ضرورت عوتی ہے – روٹی کیڑا اور مكان اور مين سمجهتي هون كه اگر روثی اور کپڑا سل جائر اور اسکر سر پر جهت نهين هو نو اسكير لثر دونون حيزيں بيكار هوجاتي هيں – جو تين اهم چیزیں انسان کی زندگی میں هیں انکے لئے جو کچھ ہماری سرکارکر رہی ہے اور یونائٹڈ نیشنس نے بھی جو ایک سیما مقررکی تھی کہ ہر ایک کو گھر ملنا 🕝

چاهثر تو اسکر انترکت یه جو سنشودهن لائے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو محسنه جي نركها بلذنگ ايكش رئس پڑھے – لوگ گھر زیادہ بنائیں اور جو آپس میں ٹینینٹس اور ہاؤس اونرس کے ييچ ميں من مثاؤ هونا <u>هے</u>وہ دورهو جائیں ۔ ہمارے مانٹے سدسیٹے جسونت سنگه جی نے کہا لینڈلارڈ کی بات پر میں بھی آبجکشن کرونگی ۔ مانئےور ۔ لارد توبهان سے جلے کئے آجسے . ۱۳۰۰ سال پہلر ۔۔ اب تو لارڈ رہے نہیں اور لینڈ ہے وہ دوسروں کے قبضے میں ہے يهان سوال كرنا جبكه ند ليندهے نه لاركا يه كعيه عجيب سا لكتا هے - مبل محسنه جی سے کہونگی کہ لینڈ لارڈ شبد کو وہ هنادیں اور لارڈ کا زمانہ اب جلا گیا ہے اب تو سب بیجارے غریب لوگ رہ گئے ہیں اس دیش کے اندر ۔ دوسرا میں ایک اہم مدعا آپ کے سامنر رکھنا چاہتی ہوں ۔ میں ہمبئی سے آنی ہوں جہاں ہر ہاؤسنگ کی سب سے زیادہ سمسیا ہے۔ دھلی اور ہمبتی کے اندر هاؤسنگ کی مشکلین عین -- مین به امید کرونگی که هم به ایک ایسا کاپری ھینسیو بل لائیں جس سے ساری دنیا میں مثال قائم هو اور خاص طور پر بمبئي اور دھلی بیسے شہر کے اندر اس طرح سنشودهن لائين – مين سركار سے نويدڻ **کرونگی** که کیونکه هم کاؤنسل آف

اسٹیٹس میں بول رہے ھیں ھم اپنی اپنی اسٹیٹس کو رپرزینٹ کرتے ہیں جر یہ ودهربک رینٹ کنٹرول کا آبا ہے تو محسنه جي اپنرآفيسيز كا استعمال كركے ابنا جارم القليوينس اور واثر لينس اكر کر سکیں جسکی مجھے امید نہیں ۔ یہ همارے شہر کے اویر بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں ۔کیونکه بمبئی میں یہ حالت ہےکہ لوگ پرانی بلڈنگوں سیں رهتے هیں اور بہت کم کرایه دیتے هیں۔ هاؤسبز كي شارئيج هي - چاهے وہ بلڈنگ گر جائر ۔ مر جائیں مگر گھر نہیں جهوڑتر ہیں ۔ جو مکان سالک ہے وہ اسکی رہیئر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اسکاکرابہ اتناکم ہے کہ اسکی ربیئر کرنا تو دور رها اسکرائے کو وصول كرنركبلئر كوئي نؤكر بهي نهين ركه سکتا ہے جس سے وہ اس سکان کا کرایہ وصول کر سکر ۔ وہاں جو پہلر ليبز لائيسنس كاطريقه تها جسكر ذريعر كنثريكك كرنے تھے كه وہ ١١ سبيتر کے بعد اسکو دوبارہ لے **لیتر تهر وه طریقه بهی آب ختم کر** دیا گیا ہے ۔۔ اس سے ان لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ھیں ۔ یہاں میں چند باتیں ہاؤسنگ کے بارے میں کہنا جاهونگی اور اس پر کافی سب لوگوں نے بولا ہے ۔۔ میں پچھلے سال ترکی گئی تھی وہاں میں نے دیکھا کہ انھوں نے

هاؤسنگ کی سمسیا کو کانی حد تک حل کر نیا ہے ۔ وہاں ایک ایسا فاڈ بنایا گیا ہے ہاؤسنگ ڈبونپمنٹ فنڈ جسکر ذریعے سے لوگ اس میں پیسه جمع کرتے ہیں ۔ اس میں بینک کی طرف سے لون ملتا ہے ۔ اور اس سے وہاں انھوں نے اپنی ہاؤسنگ کی سمسیا کو كافي سلمهار كرليا ہے – سين محسنه جي سے کہنا جاہونگی کہ جیسے ترکی کے اندر اس سمسيا كا حل كيا گيا هـ وه اپنر دیش میں بھی به دیکھیں که کس طرح سے انہوں نیر بڑھایا ہے اور اسکے مطابق یہاں پر بھی کوشش کریں ۔ به جو ..ه و رو پئر کا معاملہ ہے یہ کافی لوگوں نر اٹھایا ہے۔ جہا کہشن کی رپورٹ تھی وہ ہ رسورویٹر کی تھے ہیں یہ نہیں کمونگل کہ ہے سوعی رکھر جائیں مگر کوئی ایسی سیما نکالیں جس سے عام لو گوں کو جو مدھیم استر کے اواک هیں انکی هاؤسنگ کی سمسیا دور هو اور یہ صرف بڑے آدمیوں کیلئر نہیں ہو۔ مگر مجھے یقبن ہے کہ دہلی رینٹ کنٹرول ایکٹ بننے کے بعد بہت سے ایسیر مکان جنکر کرائیر بارہ جائیں گر وہ اس سیما کے اندر آسکیں گر ۔ محسنه جی نے جو ساڑھے سات سے دس پرسینٹ کیا ہے تو یہ جہا کمیشن نر ، ۱ پرسینٹ كأ سعيشن ديا تها وه صرف الملئر ديا تها که جو کچھ خرچ هوگا رپيدر کا اور جو

لیکسیز وغیره هونگے وہ ٹینینٹ کر دینے پڑینگے چونکه اب یه مکان مالک کے زمه هوگئے هیں اسلئے مجھے لکتا ہے که . اپرسینٹ کچھ زیادہ فری بل نہیں لگتا ہے۔کوئی بھی انسان اپنا پیسه کسی چیز میں اسلئے لگاتا ہے که اسکو آمدنی هو۔

کوئی ہبلک سروس کیلئے مکان بنا کر نہیں رکھتا ہے۔ وہ کرائے پر اسلار دیتا في كه اسكو آمدنيي هو اگر أسكو انویستمینٹ پر ۱۰ پرسینٹ بھی نہیں ملر کون ہوگا جو نین جار پرسیائے کیلئے اپنا مکان بنا کر کرائے پر دیگا حبکہ بینکوں کے اندر یا پہلک سیکٹر کے اندر انویسٹ کر کے اسکو ، ۱ سے ٩٠ برسينك مك وثرن هونا هيـ استئر میں چاہونگی یہ ہو اگر سمستہ جی اورسرکار یه چاهتی ہےکه هاؤسنگ ایکٹی وٹی بڑھے۔ جو عمارے دیش کے از أندر ایک طوح سے فینامنل طوبقے سے رینٹ بڑھا ہے وہ عاؤسنگ کی شارٹیج ھونے کی وجد سر بڑھا ہے۔ آپ اسکی ایسی سیما رکنیئے تاکه لوگ مکانوں کے اند پیسه لگائیں اور انکو برابر کا وٹرن ملے۔ سمت سے لوگ ایسے ہوتے جو اپنے بیسے کو کسی دوسری جگه پر نہیں رکھنا جاھتر ہیں۔ بہت سے اوگ اس بات کو نہین عاهتر هيركه دنك يدر الكو الثريسة

ملے وہ اسکو غلط مائتے ہیں۔ کجه سیکٹ ھیں خاص طور کے مسلم لوگوں میں۔ یہ گھریٹا دیتے ہیں انکے کرائے سے انکو آمدنی ہوتی ہے۔ اگر انبین اسکا رازن نمین ملرگا تو اس طریقر سے بلڈنگ کے اندر لگائیں گے۔ کیونکہ انکا مکان ہمیشہ کیائر دوسرے کے نام لگھ گیا اور بیکار علی ہو گیا۔ اس کلاز کے اوپر میں یہ کسنا جاعونگی کہ پردھان منتری جی نے ایک چارلس کوریا کمیشن بنائبی تھی۔ اس کمیشن نر سعیشن دیا تھاکہ انفلیشن کے لحاظ سے کرائے میں بڑھوتری ھوسی چاھٹے۔ آج مكان بنانا كتنا مهنكا هو گيا هيـ سیمینٹ سہنگی ہے۔ لکڑی سہنگی ہے۔ درسریں سامگری مہنگی ہو گئیں ہے۔ مکان بنانے کیلئے زمیدوں کے بھاؤ بر حد بڑھ کئر ھیں۔ سرکار کوٹی زمین لیتی ہے اور ڈی۔لی۔اے۔ وغیرہ کی طرف سے مکان بنائر والیوں کو دیتی ہے۔ تو انکے ریٹس بڑھگئے ہیں ۔۔ اس لحاظ سے اور روپئے کے انفلیشن ڈو دیکھکر کرائے بڑھنے چاھیئے ۔ اور دوسرا چاولس کمیٹی نے سجیشن دیا نها وه نها که ۱۰۰۰ می انهون نے کٹ آوٹ ڈیٹ دی نھی۔۔ اسلئے اگر سرکار کوئی سیما مقرو کردیے کہ کہاں <u>سے ، ، ر</u>رسینځبۇ ھایا جائ**یکا۔** تو میں حجہتی ہوں کہ بہ زیادہ اچھا <u>ہے</u>

دی ہے۔ مسجد کیائے کے فنڈس کیائر دے دی ہے ۔ سندر کیائر دے دی ہے 🔒 یا اس طرح سے بہت سی ایسی مدد کیلئر انہوں نے اپنی پراپرٹی وقف کردی ہے۔ آج لاکھو**ں کروڑوں کی** یراپرٹی مسلم وقف کی ہے۔ اسکے باربے میں مجھر معلوم هے كيونكه حب وقف اونلمينك کے اویر کمیٹی بنی تھی اسمیں میں نے کام کیا ہے ۔ ''وقت کی 'گھنٹی'' اسمبن لاکھوں کروڑوں کی برابرٹی رینٹ بر دى ھوئى ھے۔اور اتنا نامنل رينكھ جتنا نامثل کہ آب مجھر ٹائم دے رہے ہیں۔ اسمیں مشکل سے جتا پسہ ملتا ہے اس سے وہ پر اپرٹی ریپیئر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رینٹ کنٹرول اورڈینیس کا بہانہ لیکر لوگ اس پر قبضه کرکے بیٹھ جاتر ھیں اور وہ پراپرٹی جس سے کہ عام لوگوں کو فائدہ ہوسکتا تھا ۔۔ ہو عوام ی- جنتا کی اللائی کیلئے کسی نر ابنر بعیوں کا – اپنا حق مارکر یا اپنراوپر تکلیف اٹھاکر پیسه جم کرکے بنا کر دی تھی وہ لاکھوں کروڑوں کی پروپرٹی آج چند ٹکوں کے لئے دی ہوئی ہے اور اسمیں کچھ بھی کاروائی نہیں کر سكتر هين هماري ج سوشل ويلفيش منترى ہے وہ بھیاس بارے مین سوچ رہی تھیں حِب همارا ألسكشن هو رها تها. تو ہماری سرکار کے سامنے یہ بہت ہی دست بسنه گزارش کرونگی که مهربانی

ورنہ یہ کبھی پتہ نہیں لگے گاکہ کب سے کرایہ نڑھانا ہے کب سے نہیں بڑھانا ہے اس پر آج جتنے لٹیگیشنس سرکار کے کورٹس کے سامنے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس سلسلر میں آجائینگر

دوسرا ، حسنه جی یه آپ نے ۱۹۸۸ سے شروع کیا ہے ۔ آپ نے ۱۹۸۰ کی دے دی ہے ۔ لبکن اگر کسی کا مکن ، اسال بہلے سے لیا ہوا ہے اور اس نے بھی ، ۱ ۔ ، ۲ سال پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے تو ان اوگوں کو اس ودھ یک سے کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ میں آپ سے غور کریں کیونکہ جن لوگوں نے پہلے نے بناکر رکھا ہوا ہے وہ آج سے بناکر رکھا ہوا ہے وہ آج سے ۱۰ سے بناکر رکھا ہوا ہے وہ آج سے ۱۰ سال پہلے تک اور آرام سے رہینگے اور سال پہلے تک اور آرام سے رہینگے اور مکان خالی نہیں کرینگر ۔

میں اس سے ایک خاص بات اوقاف پراپرٹی کے بارہے میں آپ کے سامنے لانا چاھونگی ہواپرٹی کے باروں لاکھون کی پراپرٹی ہے اور بہت کم رینٹ پر گئی ھوئی ھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی یا اپنا مکان جائداد اسلئے وقف کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ آمدنی ھو وہ لوگوں کے فائدے کیلئے بھی استعمال کی جائے ۔ ذاتی فائدے کیلئے بھی نہیں ھو۔ جو فلینتجاپسٹ لوگ ھیں نہیوں نے مدرسہ چلانے کیلئے دراپرٹی

 كركے آپ اس او قاف كو اس سے باہر نكال دينجئر تاكه جو وقف كي براپرڻي ہے۔ وہ نکل سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ھو کر لوگونکی بھلائی کے کام کرنے میں نریمی چند ہاتیں آپ کے ساسنر رکھی ھیں۔ میں نےوڈوز کے بارےمیں امنڈمنٹ دیا تها اور اس پر پرتبها سنگه بهی بولیں۔ انہوں نے ایم بیز اور ایم ایل ایز کے بارے میں بھی بولا۔ هم لوگوں کی اور هماری بهی و هی حالت هوگی-میرا تو کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ میرے هسبند کا عدجب تک میں انکل بیوی هون تب نک میرا ہے اور بعد میں پتہ نہیں میراکیا ہوگا۔ مگر ماننے ورد دلی میں نو میرا کوئی مکان ہے می نہیں۔ میرا اس سے کوئی زاتي تعلق نہيں ہے ايگن جن لوگوں كے مكلن هين وه ايم يي هين حب تك وہ ایم ہی۔ رہتے ہیں تب تک انکے پاس سر کاری مکان رہتے ہیں۔ لیکن جب وه ايم. پي نهين رهينگر تو وه کدهر حائیتگر ایک هماری ایم یی هیں اس هاؤس کی بند نہیں انکا نام معھر لینا چاهیئر یا نہیں۔ وہ کل می کہ رهی تهین که انکامکان کتنر که کرائر پر قبضه کرکے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ خالی بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ سوچتی ہیں كه اكر جب كبهي اليكشن هوتا في اور الیکشن کے بعد کہیں انہیں پارلیمنٹ کی

سمبر ثنیہ سے جانا پڑتا ہے تو اسکے بعد ان کو سرچھہائے کیلئے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تیسری بات مائنر چلڈرنکی بات میں کہ رہی تھی...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA) : Last Point.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA This is the last point. Also, I am not a miner child; I do not come under that caegtory. But I am speaking for minor children.

ان کے اثر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے بحر مائنر ہوتر ہیں تو انکا توكوني موال هي نهين هونا كه كمين سے کوئی آمدنی هو اور ماں باپ انکر اثر اثنا آثاثه چهور کر جاتے هيں تاکه مرزے کے بعد وہ ان کے کسی کام آثر ایکن وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں رہتا ہے جہاں تک سرکاری کر مجاربوں كاسوال هے جاهے وہ راجيه سركاريا کیندریه سرکار کے هورب آب ضرور انیهن اسکے اندر لیکر آئے میں ۔ اس کے لئر میں مبارکباد دیتی ہوں۔ لیکن حوثوکر كامكرنر والر موتر هيل كوئي براثوبك سیکٹر میں بھی کام کر تر ہیں ان کوبھی مکانہ کمپنے کی طرفسے ملتا ہے۔کیا وجہ ہے کہ ہم ڈسکرمیششن ایکٹ سروس سے دوسری سروس میں کرتے ہیں۔ اگر ہم لمسكرمينشن كرينكر تو اوگ كهيس كر کہ سرکار صرف سرکاری ٹوکروں کے

بارے میں سوحتی ہے۔ اور دوسرے بیمیلابز کے بارے میں نھیں سوچتی جوکہ پرائیویٹ سیکٹر یا دوسرے جگہوں ہر نو کری کرنر هیں اگر میں په سوحتی ہوں کہ جس شخص کے پاس مکان نہیں ہے۔ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو۔ چاہے ہرائیویٹ سیکٹر کا ملازم هو۔ چاہے کهیں بھی نوکر ہو۔ اسکو اسکی ضرورت کے لئر مكان جو ہے وہ اسكو ضرور سانا جاهئر۔ انھیں چند شہدوں کے ساتھ میں محسنه جي كو ايك باربهر مباركباد ديتي هون اور وه جو يه بل لائي هين كراما اس كو آپ اوک سبها ميں بھي باس کروا دیجئر اور اسکر بعد اسکو المهليمينك بهي كروا ديجئر تبهي مجهر لكنا ہے کہ یقینا اس کا اودیششٹر ہورن ہوگا۔ تهیئک یوں

رام اودهیش سنگه : سنشودهن کے ساتھ دَاكِثُر (شريمتي) نجمه هيبت الله: هان ہمارئے سنشودھن کے ساتھ اسکو باس کروا **دیجئر۔**

श्री तीरथ राम आमला: मैंबर्ज की डाउट क्यों हो रहा है कि यह विल यहां से पास होने के बाद लोक सभा में पास होगा या नहीं होगा?

(श्रीमती) नाजमा हेपतुल्लाः कई बार हो जाता है।

2465 RSS/88-21

श्री राम ग्रवधेश सिंह : माननीय उप सभाध्यक्ष जी, यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है उस उद्देश्य के बारे में मुझको कोई शक नहीं, उद्देश्य ग्रच्छा है, लेकिन इसमें कुछ तुटियां रह गई हैं। मैं समग्रता हूं कि उन ब्रुटियों को यदि दूर कर दिया जाए तो कुछ कारगर ढंग से भाड़े की दर में जो वृद्धि हो रहो है या किरायेदार या जो मकान मालिक हैं उनमें जो विवाद हो रहा है वह सब कुछ हद तक दूर किया जा सक्ता है। लेकिन उद्देश्य भ्रच्छा रहते हुए भी इसमें कई तुटियां हैं। मैं केवल उन ल्दियों की ओर ग्रापका ध्यान खींचना चाहंगा। मैं चाहंगा कि माननीय मंत्रिगण जो दोतों यहां बैठे हैं बड़े और छोटे मंत्री, वे इस पर ध्यान देंगे। जो सबसे खलने वाली बात है वह यह है कि इसमें कोई ऐसी मशीनरो की व्यवस्था नहीं की गई है कि किराये के संबंध में जो केस या मुकदमें होते हैं उनका यथाशीध्र निपटारा कराया जाए। तो ऐसी कोई मशीनरी जरूर बनानी चाहिए। जैसे लोक ग्रदालत टाइप की बना दी जाए और 6 महीते के ग्रन्दर वह फैसला हो जाए तो ठीक है। नहीं तो केस हो जाता है और बीस साल तक उस मकान में काविज रहता है। और मकान वाला मान लीजिए कि बाहर रह रहा हो, उसका बेटा कहीं दूसरी जगह से स्ना गया हो; उसे अपने रहते के लिए मकान की जरुरत हो तो भी वह श्रपने घर में नहीं रह सकता है। इधर मकान का म्कदमा रहेगा और बीस साल तक उसका निपटारा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति है, भान्यवर, चाहकर भी वह अविभी अपने घर में नहीं रह पाता... (ध्यवधान) 😬

Delhi Rent Control

323

थी राम प्रवधेश सिंह : मान्यत्रर, मान लीजिए छोटी पंजी वाला ग्रादमी है. उसने भ्रपने लिए मकान बनाया हो और उसका कडी दूसरी जगह ट्रांसफर हो। उसका बेटा या इसरा संबंधी वहां ग्राए और उसे मकान की खद रहने के लिए जरूरत हो, उसे मकान न मिले वह अपने मकान में न रहे और दूसरे किसी किराए के मकान में रहे और इसरा **ग्रादमी उसके मकान पर कम** किराया देकर काबिज रहे, तो इसके लिए कुछ तो निपटारा होना चाहिए. जि.नी जल्दी हो सके। इसके लिए ग्रापको कुछ विचार करना चाहिए, कोई ऐसा कानून बने. कोई ऐसी मशीनरी हो कि छह महीने में उसका निपटारा हो जाए।

दूसरी चीज, मान्यवर यह कि तीन वर्ष में 10 परसेंट किसम में बढ़ोत्तरी की छूट दे रहे हैं। मैं तो 10 परगेंट स भी कम चाहता, लेकिन ग्रव जो सरकार यहां बैंडी है, वित्त मंत्रालय पर इनका नियंत्रण है, हर सान साहे 10 परसेंट डेफिसिट फाइनसिंग बजट इनका रहता है और यह साढ़े 10 परमेंट डेफिमिट फाइनसिंग होने से कीमत बढ़ अती है 25 परसेट, 30 परसेट । जब हर माल ग्राप कीमत बहाने की योजना बनाते हैं 25 परसेंट, 30 परसेंट और तीन मान के बाद मान्यवर, यह कह रहे हैं कि 10 परसेंट की किराए में बढ़ोत्तरी की छूट है, तो इसका मतलब है कि आप भानवूझकर उसको इस स्थिति में रखना

चाहते हैं कि वह बहुत बुरी स्थिति में रहे।

(Amdt.) Bill, 1988

फिर मान्यवर, पुरानी लागत के बारे में कड़ा गया है कि पुरानी लागत का 10 परसेंट से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया। अब मान लीजिए, किसी का मकान हो बीस साल पहले का बना हमा। उन समय की उतकी लागत 50 हजार रुपए की हो तो वह आज पांव लाख से कन नहीं होगी। अब 50 हजार की तुलना में ग्रानर ग्राम 14 परनेंट करते हैं और उसको टैक्स देना होता है। 50 लाख के अनुसार आज की इवेल्यूशन मे. तो उनको तो ग्राना घर बेचना पडेना। इसलिए ग्रनर वाहीं 50 हजार का मकान बनाया है, 50 हजार कोई बड़ी चीज नहीं, तो 50 हजार का उसने अनेत रहते के लिए मकान बनाया और बिक्ती बजह में वह ग्रापको दे देता है. तो उम स्थिति में ग्राप कह रहे हैं कि हम उसकी पुरानी कीमत का 10 परसेंट ज्यादा, और उदारता पूर्वक 14 परसट ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके साथ ग्राप इन तन्त्र से न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में ग्रापको सोचना चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि इसमें यह आश्चर्य-वनक प्रावधान है, कि मान लीजिए कोई आदमी किसी मकान में किराएदार है और उसने अपना मकान बना लिया है हों भी मकान बनाने के बाद दन माल तक वह किराए के मकान में रहेगा और जिपका मकान लिया है, मकान-मालिक को उनकी गरूरत भी होगी तो उसको नहीं मिल पाएगा। मैं चाहुंगा कि इसमें रेसी अवस्था जरूर होनी वाहिए कि सगर किरएपदार ने ग्रंपना मकान बना लिया है तो वह ग्रंभने मकान में जाए। लेकिन वह जाता नहीं क्योंकि उसको फायदा यह होता है कि दस माल पहले जो किराया वह देता था, वहीं किराया ग्राव भी दे रहा है और वह सोचता है कि मैंने नया मकान बनाया है, उससे ज्यादा किराया थ्रा रहा है और वह ग्राना मकान किराए पर देता है किर दसरे के मकान पर काबिज रहता है। इसलिए इसमें यह प्रायधान होता चाहिए कि जो किराएदार ग्रनना मकान बना ले, वह अपने मकान में वह अपना मकान बनवाने के 6 गहीने के अंदर अनेन मकान में चला जाए। ऐसा इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि इसमें 3500 की जो निमिट है वह एक हजार करनी चाहिए। ग्रगर ग्राप गरीव और ग्राम ब्राइमी के बारे में सोचने हैं तो इसे एक हजार करिए। काप 42 हजार सालाना की छट दे रहे हैं। ग्राप बड़े लोगों को नी छुट दे रहे है, लेकिन जो साधारण लोग हैं, ग्राम लोग हैं और गरीब हैं उनके लिए छट की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता g कि 3500 में घटाकर एक हजार को सीमा लगायी आए।

मान्यवर, जिस उद्देश्य से यह विल लाया गया है कि जो लंबे झगड़े हैं, उनको ममेटा जाए उसके लिए जरूरी है कि मैंन जो सुझाव दिए हैं उन्हें इस विल में निमलित किया जाए ग्रत्यथा मकान म लिक और किरायेदारों को जो फायदा देना चाहते हैं, वह नहीं मिल पाएगा और उनझनें और ज्यादा बहेंगी। धन्य-वाद।

श्रीधरी राम सेंबक (उत्तर प्रदेश): सम्माननीय उपसभाष्यक्ष जी, यह दिल्ली निराया नियंवण ग्रधिनियम, 1988 का संशोधन करने वाला जो विधेयक विचार के लिए यहां लाया गया है, मैं उसका अनुमोदन करता हुं। उसकी ताईद करता हं। साथ ही यह जो प्रस्ताव श्री सत्य-प्रकाश मालवीय का है कि इस को राज्य समा की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हं। इसे प्रवर समिति को साँपने का कोई ओचित्य नहीं है। मैंने इस विल के बारे में कुछ मुझाव दिए हैं वह सर्वलेट भी हए हैं। मैंने वर्बली मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट भी की है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, वह मौलिक हैं, उन पर ग्राप विचार कर और उनको एक्सेप्ट कर लें। उनकी ओर से कुछ अध्वासन भी मिला है लेकिन वह कहां तक एक्सेप्ट करेंगी इसके बारे में ब्रागी नहीं कहा आ सकता है। मैं ग्रयनी स्थीच को और ज्यादा लम्बा नहीं बढ़ाना चाहता हं, लेकिन मैंने कुछ एमेंडमेंट्स दिए हैं। वह एमेंडमेंट्स यह है कि:

Clause 2 of the Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1988 seeks to amend Section 3 of the Principal Act namely. Delhi Rent Control Act, 1958. The Section excludes certain classes of properties and premises from the operation of the Act

The amending Bill of 1988 proposes to eulude from the operation of the Act any premises, whether residential or not, whose monthly rent exceeds Rs. 3,500. This amending provision appears to help only rich house owners who have built up posh premises and have rented out the same to

[Choudhary Ram Sevak] affluent tenants. It does not take into account the majority of single house owners who are middle class people and who spent their life's savings and loans for acquiring a house of their own. The Jha Commission had recommended to the Government that premises whose monthly rent exceeds Rs. 1,500, does not require rieing governed by the Rent Control Act. But tenants paying Rs. 1,500 rent or less deserve the protect'on of the Rent Contr."1 Act. There was some correspondence and exchange of views between the M'n stry of Home Affairs, the Law Ministry and other concerned Ministries and it was felt that the proposed limit of Rs 1500 by the Jha Commission should he raised to Rs. 2000, which would be consistent with the economic thinking of the Go\ernment where a person whose income is less than Rs. 18,000 (which comes to Rs. 1500 a month) is of income-tax exempted from payment which is levied on higher 'neomes on a slab system, as tax relief is given to various other incomes as well, for instance, 33 per cent of salaried income is exempted from tax and bank interest income up to Rs. 10.000 a year is also exempted from tax. Taking there factors into consideration, it appears desirable that premises whose monthly tent is upto Rs. 2,000 should be given the protection of the Rent Control Act but premises yielding higher rent do not need the protection of the Rent Control Act. Therefore, for the purposes of exemption the limit should 2,000 and not Rs. 3,500 proposed in the amending Bill, 1988.

In the proposed Amendment Bill, it appears to have been overlooked that the

definition of premises in the principal Act envisages the possibility of a building which is, or is intended to be, let separately for use as a residence or for commercial use or for any other purpose... It is, therefore, not uncommon that the same building constructed on a small but indivisible plot may be let out through separate lent agreements for res dential portion and another agreement for a portion of the same premises to be used for office or other non-residenti«l use. This is usually resorted to for splitting the rent which helps parties to gain concessions in taxes and the Government as well as Municipal authorities are denied their legitimate dues. Therefore, it is proposed to add an explanation after sub-clause (C) of Section 3 of the principal Act as proposed so that the real intention of the Government should be more faithfully explained.

The amending Bill attempts to protect for 10 years any new construction from the rigours of the Rent Control Act in the matter of charging of rent. But. amendment as drafted can lead to an unconscionable situation where a person living in a tenanted house goes on enjoying for 10 years the tenanted property at low rent but is free to charge any amount of rent for the constructed by him. The person house should be eligible to enjoy the unlimited power on the condition that he vacates the tenanted premises forthwith. The original intention of the principal Act was also the same, namely, that a person who acquires or builds his own house, cannot keep the,other house in his tenancy. The lacuna has been attempted to be removed by adding a proviso after sub[30 AUG .1988]

datise (d) to make it- clear that unless a person give- up his tenanted premises, he will not be free to enjoy unlimited rents for his newly constructed house. Besides this, clause 9 of the amending Bill, 1988 deals with the 'right to recover' immediate possession of premises to accrue to certain persons'. The procedure for recovery of immediate possession has been specifically provided in Chapter III-A of the principal Act and particularly section 25-B of the principal Act.

The proposed amending Bill, 1988 extends this special provision of immediate possession to certain new categories, namely, armed forces, members of the police force and employees of Central Government and Delhi Administration. However, proposed amendments discriminatory and exclude citizens who retire from private services and other avocations and are particularly harsh on the promises which the Government and the Prime Minister particularly have given to women who constitute more than half the number of voters.

Sir, the proposed amending Bill also failed to take into account the difficulties created by a Supreme Court judgment dealing with the affidavits referred to in the implementing section 25-B of the principal Act. The result of that Supreme Court ruling has been that even if somebody files a false affidavit, the Court has no option but to deny the proposed remedy provided in section 14-A of the principal Act and now proposed to be extended to some other categories as detailed above. To set the position right, it is proposed to add section 14-D to extend the

relief to widows, spinsters, divorced ladies women professionals and women entrepreneurs to seek possession of the" premises for their personal needs The problem created by the Supreme Court judgement regarding affidavits has been proposed to be sorted out by proposing an amendment to clause 13 of the Bill by providing that the affidavit shall be accompanied by documentary evidence in its support and the Controller shall examine the affidavit in the light of such evidence at the earliest hearing. So, Si., J suggest that section 14 be deleted.

The Vice-Chairman (Shri Jagesta Desai) in the Chair.

Lastly, Sir, I come to the recommendations of the National Commission on Urbanisation. The statement of objects and reasons appended the Bill mentions to recommendations made by the National Commission on Urbanisation. The National Commission Urbanisation recommended that the criteria for application of the Delhi Rent Control should be to help the weaker sections and not the affluent sections. Therefore, the Commission had recommended the adoption of the criteria of land area for nonresidential and residential properly and had suggested that the protection should be afforded to a tenant occupying nonresidential area of 20 sq. metres and 80

dhary Ram Sevak]

sq. metres for residence. To implement this recommendation of the Commission. in the interests of the poorer tenants, this amendment is being proposed by me.

Delhi Rent Control

With these words, I appeal to the hon. Minister to consider and accept my amendments. Thank you. Sir.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हं कि आपने मुझे इस जिल पर बोलने के लिए समय दिया ।

मैं अपने माननीय न्यायप्रिय प्रधान मंत्री जी को धन्धवाद देती हं कि उनका ध्यान इस अहम समस्या की तरफ गया । मैं माननीय णहरी विकास मंत्री जी का आभार ध्यक्त करती हं कि उनके समय में यह कानून वनकर हजारों लाखों लोगों को राहन पहंचाएगा।

मत्यवर वर्तमान रेंट कंट्रोल एक्ट और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनिधम ऐसा कानून है जो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में बहुत सी समस्थाओं और विवादों को जन्म देने का एक प्रमुख कारण रहा है ⊣

हितीय विश्वयुद्ध के सभय जब भक्त स!मग्री की कमी थी तथा भारत विभाजन के समय जमीं इारी प्रथा समाप्त करने तथा आवास समस्या के हल के लिए उस समय की परिस्थितियों को देख कर लागु किया गथा था। किन्तु आज की परिस्थितियों में यह कानून अध्याविहारिक अन्याय पूर्ण और केवल काबिज किरायेदारों का संरक्षक तथा गरीब बूढ़े अमन पसंद उत मकान मालिकों जिनके मकान इस कानून के अन्तर्गत नाम मात्र के लिए किराये पर

है उनके लिए परेणामी सन #7 73 गया है ।

यह कामन भारतीय नागरिका के लिए संविधान प्रदत्त संपत्ति के मौलिक अधिकारों का खला उल्लंबन करता है।

आज दिल्ली और देश भर की अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में मकान मालिकों व किरायेदारों के बीच चल रहे मकदम इसी दोषपूर्ण कानन की देन है ।

मनाम मलिक व किरायेदार के संबंध इतने कट हो चके हैं कि आज र्याद पुलिस के रिकार्ड को निकाल कर देखा जाय तो यकीनत अधिकतर हितक घटनाएं जो हत्या से लेकर डकैतो , अपहरण , यलात्कार घटनाओं की जह म मालिक और किरायदारों विवाद ही मिलेंगे ।

इसी कानून के कारण नवे किरायेदारों को मजान किराये पर मिलता कठित हो गया है क्योंकि कोई भी मकान मालिक किराये पर देकर मकान खत्तरे में नहीं डालना चाहता । इसी कानून के डर के कारण ही सर्वोच्च स्थानलय के जन तया मुख्य न्यायाधील तथा उप राज्यवाल भी अनने मकानों को किरावे पर न देकर खाली रखना ज्यादा सुरक्षित समझा क्योंकि उन जैसी हस्तियों तक ने किरावेदार सं अपनी आवज्यकता पडने पर मकान खाली कराना असम्बय समझा । इसके साथ ही अभी हाल ही में स्चना के अनुसार एक रिटायड मध्य न्यायाधीश तक को भी काफी प्रयास करने के बावजूद किराये पर मकान

देने को इसी कानून के इर से कोई राजी नहीं हुआ।

Delhi Rent Control

आज यदि एक ईमानदार सर्वेक्षण किया जाये तो यह कट् सब्चाई समिने आ जायोगी कि इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आने वाले गरीब मालिकों का किरायेदार द्वारा ही अधिक शोषण हो रहा है। एक पूराना खस्ता हाल जर्जर मकान को भी किरायेदार छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि वह नाम मात्र का 10 या 5 रुपये का किरायेदार है जिस भवन का वास्तविक बाजार मूल्य आज लाओं में हैं उसे या तो किरायेदार कोड़ियों में खरीदना चाहता है जो उसके मलबे का भी भींस्य नहीं होगा या फिर उसे खाली करने का बाजार मूल्य हजारों यालाखों रुप्ये मकान मालिक से किरायेदार वसूल लेना चाहिता है। और कई मामलों में मजबूर मकान मालिक कर्जले कर भी मकात खाली कराने हेत्यह रकम देने पर मजबूर हो गये हैं क्योंकि मुकदमैबजी में समय, श्रम एवं धन सभी वर्वाद होता और फैसला भी अनिश्चित होता है। अतः आज की परिस्थितियों में यह कानुन बिल्कुल अभानवीय एवं अब्धव-हारिकं है। आज के हालात में मृत्यांकन करना तथा इसमें न्थायपूर्ण संशोधन करना अति आवश्यक ऐसा है। संशोधन न्याय हो, *व्यावहारिक हो,* संगत करना आवश्यक है।

आज एक तरफ बड़ी संख्या में किराये दार जिसमें बड़ी व्यवासाधिक कम्पनियां, फर्में और सरकारी व अर्ध **सरकारी संस्थान प्रति**न्ठान तथा वकील

डाक्टर व ब्यवसायी भी समितित हैं, सम्पन्न हैं, सक्षम है और अपने लिए एक नहीं कई भवन तक बनासकने की आर्थिक स्थिति में हैं और दूसरी ओर अधिकदर मकान मालिक निम्न था मध्यम श्रेणी का या बुढा ध्यक्ति हैजो आर्थिक रूप से साधनहीन या रिटा-यर्ड कमचारी है। और साथ ही उसके निजो आवास था व्यवसाय की भी कोई व्यवस्था नहीं है किन्त् अपने पैतुक मकान को प्रयोग में लाना था उसमें रहना उसके लिए इस कानुत की खासियों के कारण जीवन में कभी पूरा न हो सकते वाला ख्वाव माल रह गया है । क्योंकि इस प्रकार के सम्पत्ति के बीसियों यहां तक की पचासियों वर्ष तक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं जिन्हें लड़ना हर किसी के अभ की बात महीं।

(Amdt) Bill, 1933

मैं दिल्ली में ही इस व्यवस्था के उदाहरण देना चाहंगी। एक तरफ दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगर पालिका केवल एक या दो वर्ग मीटर फटपाथ तहबाजारी साढ़े तीन प्रतिदिन अर्थात् 105 रुपये प्रतिमाह लोगों से वसूल करती है और दूसरी ओर इसी क्षेत्र में पक्की दुकान या मकान तहबाजारी भूमि से 10 गुना अधिक भूखण्ड 20 बना पक्का म्बिधाजनक मकान या दकान है जो रेन्ट कंट्रोल एक्ट के भन्तर्गत भ्राता है उसका किराया मात्र 10 रुपये सा 5 रुपये प्रति महि कानो केवल 15 वैमे दिन प्रतिदिन है।

महोदय , ग्राज मकान बनाने या मर्म्मत करने वाले कर्यवारी यांनी राज भी

🗌 [श्रीमती सत्या बहिन]

मैसन भी एक दिन की मजदूरी 60 छ. लेता है तथा मजदूर 20 रु. लेता है और लोहा, सीमेंन्ट, ईट तथा अन्य विल्डिंग मेरिरियल की कीमत ग्रलग है। बीस वर्ष पहले और पचास वर्ष पहले के जो मकान हैं, उनको कीमतों में कितना अन्तर आ गया है। तब उनका किराया 4 रु. या 5 रु० था तो म्राज पचास वर्षों के बाद भी वही किराया कहा तक उचित है जबकि हर वस्त के मल्य में इतने वर्षों में भारी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे मकान जो पुराने और जर्जर है उन मकानों पर कई वर्षों का किराया एक दिन को ग्रांशिक मरम्मत में ही खर्च हो जाएगा। ऐसी हालत में ऐसा कीन-सा मकान मालिक होगा जो ग्रपना पैसा खर्च करके और ग्रपनी जेब से पैसा खर्च कर किरायेदार को सुविधाएं प्रदान करेगा । मैं एक उदाहरण देना चाहती हं। ग्रभी कल 29-8-88 के ग्रखबार में एक समाचार छपा है जिसमें बताया गया है कि चांदनी चौक में एक पूराना मकान गिर गया जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्य हो गई और कई घायल हो गये। यह भा समाचार है कि यह मकान रेन्ट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत ग्राता था। उस मकान का मालिक बेचारा बोसियों साल से इस बात की कोशिश कर रहा था कि वह मकान खाली हो जाब नो वह उसका पुन: निर्माण कर सके लेकिन वह इसमें कामयाव नहीं हो सका और इस बीच में उसकी डेथ हो गई । उसके बाद उसकी विधवा ने इसको खाली करानेकी कोशिश की और वह वैचारी विल्डर के पास भी गई, लेकिन फिर भी

मकान खाली नहीं करा सकी। बिल्डर खुद ही उसकी सस्ते मूल्य में खरीदना चाहता था।लेकिन भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। **ब्रा**खिर में वह मकान गिर गया और किरायेदार भी उसमें भर गया। यह स्थिति उस की खतरनाक हालत के कारण पदा हुई। मैं यह कहना चाहती हूं कि श्रावास की समस्या देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है इसके के लिए म्रावश्यक हल है कि इस कानुन को बदला जाय क्योंकि इसके चलते कोई भी किराये दार ग्रपना मकान वनवाना नहीं चाहता तथा कोई भी व्यक्ति अपना मनान बनाकर किराये पर नहीं देना चाहेखाली ही क्यों न पड़ा रहे। ऐसा ही एक समाचार 16 जुलाई 1988 को हिन्दुस्तान टाइम्स लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें यह बताया गया है कि सी से श्रधिक फिल्मी हस्तियों द्वारा की गई मामिक अपील प्रकाशित हुई जो संगीतकार फ्लेट वह खाली के संबंध में की गई थी जिस पर हिन्द्स्तान लोवर्स , सैन्डोज ब्रुकबांड इण्डिया जैसी बड़ी व्यावसायिक संस्थाये किराये के रूप में काविज थी वे बड़ी परेशानी में थे और ग्रपना मकान खालो कराने के लिए परेशान थे। इसलिए सब लोगों ने की कि उनका मकान खाली कर दिया जाय । वे इस स्थिति में नहीं थे कि मुकदमें वाजी में समर्थ इतने बड़े बड़े लोगों को यह परेशानी होती है तो गरीव लोगों

स्थिति होगी, इस को शरकार समझ सकती है। इस कानून में खामियों के कारण ही बहत से अपराध भी बह रहे हैं। रेन्ट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत ग्राने वाली सम्पत्ति को पाने के लिए अपराधी वर्गतथा प्रापर्टी डीलर व बिल्डर सक्रिय हो गया है और किसी भी प्रकार साम, दाम, दण्ड भीद से किराये नियंत्रण ग्रधिकारी से मिलकर एक बार ग्रलाटमेंन्ट कराकर ऐसे भवनों पर भाजीवन और अगली पीढ़ियों तक के लिए किरायेदारी का प्रधिकार पा लेता है और बेवस मकान मालिक ऐसी सम्पत्ति को कोड़ियों भाष बेचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि श्रपराधी प्रकृति के लोगों से मकान खाली कराने हेत् मुकदमेंबाजी करना अपने जीवन तक को खतरे में. डालना साबित होगा । मैं यह प्रार्थना करना चाहतो हूं कि इस रेन्ट कंटोल एक्ट को सिर्फ दिल्ली में हो नहीं पूरे देश में लाग् किया जाए क्योंकि यह पूरे देश की समस्या है और जो समस्या दिल्ली में है वही समस्या तथा वही परिस्थि-तियां ग्रन्य जगह पर भी है। यद्यपि पिछले कानून में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई मकान मालिक निजी उपयोग हेत् भ्रपनी झावश्यकताओं को दिखाकर, ग्रदालत में ग्रपना मकान खाली करने का दावा प्रस्तुत करता है तो ब्रदालत या किराया नियंत्रण श्रधिकारी मकान मालिक व किरायेदार दोनों की तुलनात्मक आवश्य-कता को देखकर ही यह निर्णय देगा कि कौन ग्रधिक जरुरतमंद है और जो ब्रधिक जरुरतमंद होगा वही उस मकान में रहने का अधिकारी होगा तथा इस प्रकार के कानून के अन्तिगत 2465 R96/88-22

मकान मालिकों ढारा किये गये दावों का अंतिम निर्णय किराया नियंत्रण प्रधिकारो या ग्रदालत ढारा एक वर्ष में हो जाना ग्रावश्यक है।

लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहती ह़ंकि पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कानून के ग्रनुसार मुकदमा दायर किया हो वह इस अवधि में तय हो गया हो। ऐसा कोई भी केस देखने में नहीं भ्राया है। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर जगह यही हाल है। होना यह चाहिये कि हर जगह देश के अंदर इसका निर्णय एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिये। ऐसा प्रावधान है। लेकिन पूरे देश में एक भी इस प्रकार का फैसला एक वर्ष की प्रस्ताबित ग्रवधि में पूरा नहीं हुन्ना है क्योंकि किरायेदार जानबूझ कर अदालतों में कोई न कोई बहाना प्रस्तुत कर बड़ी चतुराई से वर्षों तक तारीखें बढ़वाता रहता है और यदि दुर्भाग्य से किरायेदार स्वयं वकील हो तो इतनो कानूनी पेंचीदगीयां खड़ों कर देगा कि वेवस मकान मालिक के लिये ग्रपना मकान जिन्दगी में कभी पूरा न हो सकने वाला मात्र ख्वाब वनकर रह जाता है महोदय ग्राज इस कानून के रहते किसी भी किरायेदार व मकान मालिक के संबंध ग्रच्छे नहीं मिलेंगे। इसो कारण भवन निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और म्रावास समस्या प्रमुख समस्या हो गई है और बढ़ती हुई स्नाबादो को मकान उपलब्ध नहीं हो पाते।

मान्यदर, मैं इस कानून के न्यायपूर्ण संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार से ब्राक्ष्म, करता हूं कि मकान मालिकों तथा किरायेदारों के ब्रदालती विवाद

श्रीमती सत्या बहिनी

Delhi Rent Control

6 माह की श्रवधि के भीतर समाप्त हो जाने चाहिये । यदि कोई पक्ष इसमें समय बढाने हेत् तरह-तरह के बहाने प्रस्तत कर इसको टालने करें तो किराया नियंत्रण ग्रधिकारी निर्देश दिया वह ग्रदालता को यह जाय कि वह ग्रपने विवेक से पक्षीय निर्णय लेकर 6 मोह की ही ग्रवधि में मामले को समाप्त कर तथा इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाये। ऐसी न्यायोचित व्यवस्था कानन बनाकर सरकार करे और सख्ती से उसका पालन करने का निर्देश भी दे। मान्यवर, उन गरीब मकान मालिकों को, जिनमें हरिजन तथा कमजोर वर्ग नागरिक, विधवा महिलाये विकलांग व्यक्ति तथा रिटायड कर्मचारी हैं और जिन्होंने ब्रपने मकान किराये पर दिये हुए हैं। ये मकान रेंट कंट्रोल एवट के तहत ग्राते हें जो कि कभी ग्रासानी से खाली नहीं हो पाते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदया और सरकार से निवेदन करती हं कि इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कानून में व्यवस्था करे और उन्हें सुरक्षा दे और किरायेदारों से उनके मकान छड्बाकर म्रावश्यकता पड्ने पर उनको दे। मान्यवर, जो मकान जर्जर हो गये हैं, जो पुराने हैं, ग्रगर उनकी 50 वर्षसे ज्यादा की अवधि हो गई है तो उनको रेंट कंट्रील ऐक्ट से ग्रलग कर दिया जाये और उनके प्ननिर्माण की इजाजत व ग्रादेश सरकार दे क्योंकि कुछ ऐसे भी भवन व विस्तत परिसर हैं जिनको केवल एक परिवार घेरे हुए है। अगर उनके पुनर्निर्माण हो जायेगां तो उसमें मल्टी स्टोरीड विल्डिंग

खड़ी हो सकेशी और उसमें प्रधिक परिवार रह सकेगे। तो इस प्रकार की संपत्तियों को किरायेदारों से मुक्त किया जाय। विधवायें, रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारियों और हरिजन परिवार जो किसी भी प्राइवेट नौकरी में हों या दूसरी जगहीं पर मविस कर रहे होंया जो अपना काम कर रहे हैं वे द्यपना मकान किराये पर दे देते हैं त्राद में वे परेशान होते निवेदन है कि उनको मुरक्षा और उनके मकान जाय खाली करवा उनको दिये जाएं। मकान आंर किरायेदार के बीच भभय बढ़ समझौते की व्यवस्था की जाए तथा उस समझौते पर भ्रमल इ.रच्यवहार में लाया जाए।

(Anutt.) Bill, 1988

मान्यवर, में ग्राणा करती है कि यह कानून जल्दी ही पॉरित होगा । सभी मदस्यों ने इस वात की शंका व्यक्त की है कि पता नहीं बन पायेगा या नहीं या लाग हो पायेगा या नहीं मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि यह और लाखों करोडों कानुन वनेगा लोग जो इससे बंधे हए, इससे मिले गो राहत इन शब्दों के साथ महोदया को धन्यवाद देती हुं और समय देने के लिये श्रापके प्रति श्रपना ग्राभार प्रकट करती है।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the introduction of the Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1988. But the Bill, as it stands, has certain lacunae. I feel that all the loose ends have not yet been tied up. I wonder if the recommendations of the L. K, Jha

Committee Report No. 11 of 1978 and the National Commission on Urbanisation, which submitted its report in 1987, have been considered before bringing this amending Bill. If these have been considered, I am wondering why the rent of Rs. 3500/- per month has been taken as the minimum rent because Jha's report had 15C0J- and the National suggested Rs. Commission on Urbanisation had recommended not an amount, but suggested that any house which had an area of more than 80 square metres should be exempted from the Rent Control Act. To my mind, the limit of Rs. 35001- is excessive. I was looking at some of the papers the other day and I found that there has been a public auction of a house in Maharani Bagh where the reserve price is Rs. 70 lakhs and the rent of that is Rs. 3200|per month. That House has been rented by Modi's and they have also sent a public notice saying that anybody who is going to bid for it should realise that this house is with them and that their company i\$ likely to increase that rent. As has been mentioned earlier, today it is difficult say who is the landlord and who is a tenant. Therefore, the terms lessor and the lessee appear to be more correct to define it. Therefore, 1 feel that the limit of Rs. 1500- as suggested by Shri L. K. Jha's report is possibly more appropriate than Rs. 3500-. Now, the Commission on Urbanisation had suggested that the rent of the various houses should be increased to compensate the owners for the cost of living index having gone up during the preceding years. They made the base year as 1974. It has been suggested that from 1974 to 1986, the owner should be compensated 50 per cent and after 1986, he should be compensated 100 per cent. If that happens, then any house which was let out at R3 1500|- and if the owner of that house is given the compensation of even 50 per cent, it would be fetching

Delhi Rent Control

300 per cent more rent. It has been suggested in this Bill that after 3 years the increase should be 10 per cent. It would be more equitable if it was made 15 per cent.

If it is decided that the limit should be more than Rs. 1500/-, then I suggest that those people who have rented their houses in 1974 or before that should get compensation or they should get enhanced rent. Only after adding the additional rent or compensation, it should be brought up to what it should have been had the owner been getting the additional rent. That would compensate him for the price rise or the cost of living index. If this is not done, then the bouses which have been rented before 1974 or during the last 10 years will not get any increase and the owners are going to be damned for ever. They are already damned in any case.

As far as commercial property is concerned, I had suggested an amendment. 1 feel that commercial property should not come under the Rent Control Act There should be no limit laid down.. Most of the commercial properties are really in the hands of big corporation or big business people and that is why 1 recommend that any commercial property should not have any limit. If you do want to have a limit, then please confine that limit, to tenants or the lessees who have a turnover of more than Rs. 50 lakhs a year.

3.00 P.M.

But my own suggestion is that in order to make it equitable for everybody, commercial property should be taken out of this Rent Control Bill.

Finally, I would like to reiterate that as far as the residential property is concerned. The limit should be made Rs. 2,000. Rs. 3,500 is excessive as most of the Members Lave mentioned already. otherwise. some allowance should be made for those people who rented ihei*

[Sardar Jagjit Singh Aurora]

Dellu Rent Control

343

property long time ago, and it should be then brought into account that if they were to get 10 per cent or 15 per cent rent, over a period of 15 years it will become more than Rs. 2,0001-, and then that limit could be increased. Otherwise, Rs. 1500 would be better. And I would reiterate again that the commercial property should be taken out. Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to suppoit this Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1988. Sir, the tenant-landlord relationship from days immemorial is very complicated. It is more complicated than even the mother-in-law and daughter-in-law relationship because...

VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DBSAI): Who is mother-in-law?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: ... in spite of best of relationship, we find all over the world that, in fact, tenants are never happy with the landlords or the house-owners, and the house-owners are never happy with the tenants.

Sir, I must say at the outset that the objects and reasons suggested by the Government are absolutely right and most-needed. They have been needed for a long time. But, Sir, we have to be very careful. I am happy that most of our Members have supported this Bill in the name of poor house-owners. But, we have to be careful and we have to take care of the poor tenants also. What are we really going to achieve by this? We have to make sure that in this process we do not hurt the poor tenants who are also living there for ages. There is no doubt that we need more houses. There is no doubt the Government has to give a very serious thought as to how do we develop the concept of more houses in our country. In this process of new policy, as I

said earlier, we have to be extremely careful. Here, I would like to mention a few points. Delegation of power to the Controller for fixing the standard rent is okay. We must formulate a full-fledged policy or guidelines so that the Controller does not become all powerful. And corruption comes into the picture again when he goes on putting any kind of rent as required by the landlords because this will lead to an unending corruption in the Controller's office. Referring to Amendment 3—sub-clause (b) of Clause 3—I suggest the construction cost and if possible the land price basis may be publicly mentioned every quarter or half yearly for the information of everybody because unless we do that, it will be impossible for them to have this pricing which will go on. Again the parties concerned bhould not have a complete freedom of fixing up the prices. Then, Sir, the automatic increase in rent every three years is good and it is a good amendment. I would like to say as the other Members have pointed out that 10 per cent inflation is not abnormal in three years. But this increment cannot go on for all times to come. We cannot go on incrteasing by 10 times over a period of 30 years or 40 years because basically the cost of the land and the cost of the building which was incurred some 40 years ago docs not really mean or does not demand that the landlord must get about 4 or 5 times the rent after 30 years or 40 years. We must be careful on this point. Otherwise, a lime might come when it will be impossible for the poor tenant to continue in that house. It is, therefore, I suggest that after seven or ten increments, as in the services where the increments are not earned for the whole life, there is a limit after which the increments stop, there should be no more increases. So, we must think on these lines. Then, Sir there should be a special rate of Income. tax on the money* received by way of rent. This is coming in the way of the

(Amdt.) Bill, 1988

house building activity because it is taken as an unearned income and so the taxes are very heavy on this. If some consideration is given...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is no difference now. Every income is unearned income.

SHRI SANTOSH BAGRODIA : I hank you for the correction, Sir. If a special consideration is given on this income by the F'inance Ministry through your Minis try, Madam, it will probably help tne buildings without construction of more affecting the poor tenant or the poor landlord and this will also help to cneck the evasion of taxes by building owners. Madam.....(Interruptions). Mrs. Vice-Chairman, Sir, I think that the rate of 15 per cent interest on unpaid rent is not enough in my opinion. If we really want to help the house owners, in this ease I would support the house owners, we must increase this interest by a penal rate of 24 or 30 per cent because the rents must be paid in time by everybody concerned, all the tenants. Then, Sir, the payment by money orders is a good pro vision. That should be really Then, Sir, about the tenancy system, 1 woidd like to say that all houses, inclu ding those taken by the Government and public sector enterprises should be vacated after the lease comes to an end. There are a number of cases where they have taken the houses on lease for 20 or 30 years, but there also most unfortunately there is no sanctity, and they do not vacate the houses. They go to the rent controllers and try not to release the houses at the whims of individual officers. That must Eo, Now, one point has been raised by most of the hon. Members and that is that at present under the provi sions of the Bill only the houses of the Government aervantQ are eligible to be vacated. I would like to say that the

cases of poor ex-M.Ps,, ex-MLAs cmd ex-Ministers, public workers etc. should also be included there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : That means everybody.

SHRI SANTOSH BAGRODIA . Whatever social workers or whosoever can come within the jurisdiction of this Bill, they should be included because they are equally needing the houses when they do not continue as MPs, MLAs or Ministers.

Sir, this Bill does not cover the couimercil and office premises. That ulso should be looked into because a number of commercial offices are also lying in the same position for a number of years as the dwelling houses.

Now, Ram Awadhesh Singhji and another lady Member made a point that the decision must be taken within six months. I think it is a very short time. The decision must be taken in a leasou-able time. In a democracy I do not think six monthsi is enough. Reasonable time may be given. I think we can put the limit to three years. But you must give

time to the tenant to get a new house. At the moment, for a poor tenant it is impossible to get a new house if only a time of six months is given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Even after six months

it is impossible for him to get a house.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: It is impossible.

Now another point was made oy Ram Awadhesh Singh and General sahib, namely, reducing the figure to Rs. 1000 or Rs. 1500, as recommended by the Jha Committee. In the Bill Rs. 3,500 has been put as the basis We are talkings about poor house owners, It a house owner is poor, that means his house it

[Shri Santosh Bagrodia] small, or the rent is not Rs. 3500-, Obviously, the rent is lower. Similarly, have we taken care to see as to who lives in those houses? It is the poor people. These houses are given to tenants who are equally poor themselves. They cannot afford even Rs. 1000 rent. For them it will be a great blow if they have to leave the house as tenant. This limit of Rs. 350O relates to houses in today's context, because there was no such rental of Rs. 3500 ten years earlier, even in Delhi. So, this relates to new constructions. Our idea is to develop housing and encourage housing activity. So I would suggest that this limit should be inereasec to Rs. 5000[- without affecting the polic) of the Government.

With these words I thank you for thi opportunity given to me to speak on thi: Bill.

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय यह दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक जो यहां ग्राया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने खड़ा हुआ है। पहले तो झा कमीणन ने जो मुझाब रखे है, उनका मैं हदय से समर्थन करता हं । उन्होंने काफी श्रच्छे सङ्घाव इसमें रखे हैं मैं तो चाहंगा उनकी बातें मानी जानी चाहिए । दूसरा में एक बात यह कहना चाहता हं कि किराया कान्न सारे दिक्कत देश जैसा नजमा जी ने भी कहा और यह केवल दिल्ली के लिए लाया गया है। केन्द्र सरकार या तो राज्य सरकारों को इस अच्छे कानन के बारे में, जो यहां पास हो रहा है, कुछ आदेश दे या सूझाव भेजे । लेकिन इसको देशव्यापी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह समस्या सारे देश में बनी हुई है, त कि केवल दिल्ली में च्िक दिल्ली 16

एक केन्द्र-शासित राज्य है, इसलिए श्राप इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि यहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो श्राप जो भी केन्द्रणासित इलाके हैं, चाहे चंडीगढ है, चाहे अंडमान-निकोबार है या ग्रन्य दूसरे हैं, वहां के लिए भी यह कानुन लागृहोगा या नहीं ? यह सारे देश में जो भी केन्द्र शासित राज्य है, उन सब में लाग होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, तीसरा यह है कि कहीं मकान मालिक दुखी है, कहीं कराएदार दुखी है। अब दोनों को मुखी करना तो मेक्किल स्व-द्व की परिभाषा करना श्रजीव है। श्रव सत्ता मिल जाय तो दुखी, सत्ता न मिलने पर तो दुखी होते ही हैं, संतान हो जाय तो दुखी और बिना संतान के भी दुखी शादीन होतो भी दुखी और हो जाय तो भी दुखी । इस तरह में किस किस को बताऊं सब दुखी ही होते हैं, मुख दुख की कोई सीमा नहीं होती ।...! (स्थवधान)

विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): योगा सीखो तो दुखी, न सीखो तो दुखी। '''

श्री राम चन्द्र विकल : योगा वाला मुखी ही मुखी होता है। आप मीख कर देख लो । योग तो है ही सुख के लिए खैर में उसमें नहीं जाना चाहता यह विधेयक भी ऐसा है, जैसे मैंने उदाहरण दिए कि नौकरी मिल आय तो दुखी और न मिले तो दुखीही दुखी हैं। इसी तरह मालिक हो जाय तो दुखी और किराएदार रहेतो दुखी दोनों ही दुख की हाल में है।

मान्यवर, मैं संदोप में यह कहना चाहता हूं कि यह गरीब किराएदार के हक में होना चाहिए और गरीब मकान-मालिक के हक में होना चाहिए न तो यह बड़े मालिक के हक में होना चाहिए और नहीं बड़े किराएदार के हक में होना चाहिए। इसको कुछ ऐसा संतुलित कर दो कानून को कि यह हर तरह से परेशान लोगों की मदद कर द।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ग्राप बताइए कि कैसा किया जाय ?

श्री राम चन्द्र विकल : विशेषकर यह सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्राप ज्याद ला रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हं सरकारी कर्मचारियों में जो दुखी लोग है, उनको यह स्विधा मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। चाहे वह प्राइवेट वाला हो, चाहे व्यक्तिगत हो, कोई भी क्यों न हो कोई श्रेणी नहीं लगानी चाहिए। इसमें यह जो सुविधा आप सरकारी कर्म-चारियों को देना चाहते हैं, उसमें व्याख्या तो बहतों ने की है, मैं तो कहना चाहता हं कि इसमें श्रेणी लगाओ ही नहीं, इसे हटा दो ताकि यह जो सुविधा है वह पा सके उसको यह मृविधा मिल जानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्यों में भी कहा गया है कि यह मकान की बढ़ोतरी में मदद करेगा। डी.डी.ए. जो यहां दिल्ली में बना रहा है, वह नो-प्रोफिट नो-लोस पर बनाकर गरीबों को दे दे। उसकी आप सीमा तय कर दो। मैं यह नहीं कहता कि हरेक को दे दो। बैंसे यह महीं कहता कि हरेक को दे दो। बैंसे यह महीं क

जी, लागूको केन्द्रोध मवर्नमेंट ने और एक दो जगह यह चालू भी हुई।

मुझे गाजियाबाद का एक तजवा है। वहां गवर्नमेंट ने नो प्रोफिट नो लास पर मकान बनाए । जो किरायेदार थे उनसे फार्म भरवाए गए कि नो प्रोफिट नो लास पर इन किराये दारों को 8 हजार में नीचे का फलेट और 7 हजार में ऊपर का देगी। यह सन 60 की बात है । उस बात को 18 साल हो गए हैं। मेरा यह कहना हैकि नो प्रोफिट नोलासकी जो बात लागु की गयी वह सारे देश में क्यों नहीं लाना चाहते ? ग्राज जमीत और मकान के पेशे में बड़ा मनाफा है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। दिल्ली और वड़े शहरों के पास तो यह धंधा हो गया है कि यहां जभीन खरीद लो और मालदार हो जाओ।

उपसभाष्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह कैसे करसकते हैं अर्दन लेंड सीलिंग एक्ट से ?

श्री राम चन्द्र विकल : गवर्नमेंट ने लेंड सीलिंग एक्ट जो अपने लिए लगाया है, वह प्राइवेट के लिए नहीं लाना चाहती है । इसी कारण प्राज मामूली वाबू और प्रिधिकारी यहां लाखों की संपत्ति पैदा कर के कारों में उड़ते फिरते। हैं लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वह नो प्रोफिट नो लास की स्कीम केन्द्र प्रशासित राज्यों में चलाए और सारे राज्यों में भी चालू कराए। राज्यों में भी केन्द्र सरकार चला सकती है इससे गरीबों का बहुत भला हो सकता है और वड़े रेट पर जो जमीनें

☐ [श्री रामचन्द्र विकल]
बिक रहीं हैं, उस समस्या का समाधान
हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्राज कई प्राने किरायेदार हैं, जो बहुत छोटे-छोटे किराये पर रह रहेहैं। अपनादीवा किए हुए हैं, मकान से निकलते नहीं हैं। ब्राप उनके किराये मार्केट रेंट के मृताबिक बढ़ा दो चा उसमें कोई हो । लोग दस-दस रुपये के किराये पर रह रहे हैं और निकलते नहीं है। ब्राज बड़े-बड़े कारखाने दार किराय पर रहते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं उनसे पूछो कि आप इतने बड़ें उद्योगपति हैं, क्यों किरायें से रह रहेहो, कहते हैं कि मकान की लागत का जो सुद ग्राएगा उससे किराया सस्ता. पड़ता है । उनकी यह बात सही है इसलिए ऐसे उद्योगपतियों के लिए और ज्यादा तनस्वाह वाली पर किराये रख दो कि इतनी भ्रामदनी वाले को किराये के मकान की जरूरत नहीं है। यह सीमा लगायी जा सकती हैकि बड़े लोग किराये पर न रहे। ग्राप तीन हजार से ऊपर तनस्त्राह की सीमा लगा दो फिर चाहे उसमें कोई भी हो तब में समझता हं कि इस कानन का ज्यादा उपयोग होगा वैसे इसे उपयोगी बनाने की काफी कोशिश की गयी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हं। श्रीमता प्रतिभा सिंह के जो सुझाव हैं, मैं उनके सुझावों का समर्थन करता हं । उन्होंने बड़ी गहराई से **ब्रध्ययन किया है।अंत में उपसभा**ध्यक्ष जी मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि गरीब किरायेदार और गरीब मकान मालिक की सुविधा के मुताविक यदि

कोई और संशोधन हो ती उसे ब्राप जोड़ लें।

श्री मुख्तवार सिंह मलिक (हरियाणा) : ग्राप बताएं।

श्री रामचन्द्र विकल : मंत्री महोदया, विद्वान हैं । मैंने इन्हें नो प्रोफिट नी लाम का मुझाव दिया है और भी स्कीम लायी जा सकती है। मेरे साथ दो दिन बठ लीजिए, में बहुत भुझाव दे दूंगा। श्रीप शीक से यह कानून पास कर लें, लेकिन एक व्यापक विधेयक सारे देश के लिए कैसा हो, श्रीप को इसकी हप रेखा बनानी पड़ेगी।

उपसभाष्यक्ष (श्री जमेश देसाई) : इस पर नेशनल हार्जासम पालिसी पर विचार के समय चर्चा होगी।

श्री रामचन्द्र विकसः ग्राप उसमें
मुझाव ले लीजिए और राष्ट्रव्यापी
ग्रावास नीति बनाएं। केन्द्र सरकार उसमें
मध्यस्थता करें। व्यक्ति लोगों की
संपन्ति रोकने में यह बिल सहायक
हो सके तभी यह उपयोगी होगा।

मोहसिना श्रीमती किदवर्ड वाइस चैयरमैन साहब, मैं इस दिल्ली ग्रमेंडमेंट बिल--- 1958 रेन्ट कंट्रोल ऋपर जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और श्रपने विचार व्यक्त किए उन सबकी मैं वहत श्राभारी हं जैसा कि अपको मालुम है, मान्यवर कि यह दिल्लो कन्द्रोल एक्ट-- 1958 में बना था और उस वक्त केहालात दूसरे थे अब 20 साल हो गए इस एक्ट को और यह बड़ी पुरानी मांग थी दिल्ली के लोगों की और बहुत

िता स यह पाडग था 4 साल के बाद हम इसे हाउस में ला सके और हमें उम्मीद है कि यह इसी सैंगन में लोक सभा में भी पास हो जाएगा।

बहुत से मैम्बरान ने इसमें श्रपनी बातें कहीं। मैं पहले ही कह थी कि सन् 1958 में जिस समय यह एक्ट बना था उस वक्त के और श्रव के हालात में बहुत फर्क है। उस वक्त जो लैंड लॉर्ड की परिभाषा थो लॉर्ड से लगता है किन्तु कि बहुत पैसे वाला ब्रादमी है, जिसकी बहुत बड़ी प्रापटीज और जसवंत सिंह जी ठीक कह रहे थे, मैं भी उनमें सहमत हूं कि लैंड लार्ड का ग्रब जामाना नहीं रहा ग्रब तो हाउस ग्रानस ही ठीक है। और जैसा कि ग्रापने ग्रभी कहा कि तीन लाख रुपए तक जो किराया ले रहे हैं और जो दे रहे हैं वे दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। तीन लाख रुपए तक की जिसकी क्षमता है उसे हाउस ग्रानसं नहीं कहा जाएगा उसको भी लार्ड ही कहा जाएगा उस वक्त जो हालत थी, वक्त पूरी कोशिश यह थी कि टैनैन्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, खास तौर से जो गरीव टैनेन्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके लिए सन् 1958 में यह विधेयक बना था। इसमें संशोधन करने की जो जरुरत महसूस हुई वह इसलिए कि दोनों तरफ से प्रावल्म होती है—हाउस ग्रावनर्स स**म**झता है कि उसका हक मारा जा रहा है, प्रापर्टी का उसे जितना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है जाहिर है जो टैनेन्ट है वह गरीब है, 2465 RSS/88-23

मिडिल क्लास का है वह यह चाहता है कि सस्ते दाम पर उसको मकान मिले । ती ये सारी चीजें लेकर इसमें संशोधन । कए गए हैं और पूरी तरह से कोशिश की गई है कि बैलेंस रखा जाए between the tenants and the landords. उसके तहत यह एमेंडमेंट श्चाए हैं तो मैं पहले तो हमारी मालवीय जी का प्रस्ताव है कि यह सैंलेक्ट कमेटी को रैंफर कर दिया जाए, मैं समझती हूं कि इसकी कोई जरुरत नहीं है । कोई नया विधेयक नहीं है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और जो बाकी बैकग्रांऊड है वह हैं जो झा कमटी की रिकमैंडेशन थी, जो पैटिशन कमेटी ने बात कही थी उसकी बिना पे और जो कमीशन म्रान म्रारगैनाइजेशन है चार्ल्स कौरिया की चैयरमैनिशिप में उनकी जो अंतरिम रिपोर्ट ग्राई उसमें और उन्होंने फाइनल अभी पिछले हक्ते पेश करी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह संशोधन यहां पर लाया गया है। मालवीय जी के इस प्रस्ताव से मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं कि इसको रैफर कर दिया जाए । काफी इस पर गौर हुआ। और लोगों से बातचीत करने के बाद ही यहां एमेंडमेंट मूव किया गया है। तो मैं मालवीय जी से यही अनुरोध करुंगी कि वह श्रपना प्रस्ताव वापस

कुछ मैम्बरान ने यहां जो बात कहीं उसमें जो मौरारका साहब सबसे पहले बोले उनका कहना यही था कि यह जो है यह सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेट के लिए आया है और साढ़े तीन हजार रुपए की जो सीलिंग रखी गई है और उसके

□ श्रीमती मोहसिना किदवई ऊपर से जो छट दी गई है वह कोई लिटिगेशन कम करने के लिए नहीं है। मोरारका साहब यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे यह कहना चाहती थी कि यह हाऊसिंग एक्टिविटी को बढाने की बात 3,500 वाली नहीं है उसके लिए सैक्शन 39 मौजूद है जिसमें हमने कहा है कि लिटिगेशन कम करने की बात और लिटिगेशन कम किस तरह से होगें कि यह कुछ लोगों को समरी प्रोसिजर के जिरए जिसमें गवर्नमट सर्वेट की बात कही और मान्यवर उस समय आपने बहुत सही बात कही कि गवर्नमेंट सर्वेट जो लोग है वह जब तक गवर्नमट सर्विस में होते हैं उनको मकान मिलवा है और वह उस वक्त तक उसको खाली नहीं करते जब तक उनका मकान खाली न हो । इसलिए आर्म्ड फोर्सेज को, ग्राम्ड पर्सनेल को यह छूट दी गई है कि वे रिटायर होकर जब ग्राए तो ग्रपना मकान उनको वापस मिल सके सब जानते हैं कि वे किस तरह से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं. इसलिए उनको यह छूट दी गई है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी विधवाओं को यह सुविधा दी गई है. साथ ही साथ चूंकि दिल्ली का यह मामला है, इसलिए दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें दो राय नहीं हैं कि गवर्नमट सर्वेट को यह स्विधा दी गई है क्योंकि बे सरकारी मकानों में रहते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए. इससे दो फायदे हैं. एक तो सरकारी भावास हमको खाली

मिलता है हम दूसरे कर्मचारी को दे सकते हैं, दूसरे उनको भी अपना घर रहने के लिए मिल जाता है और उनको दूसरा घर तलाभ नहीं करना पड़ता तो इस बिल के तीन आब्जेक्ट्स हैं जो साफ तौर पर बताए गए हैं कि हाउसिंग ऐक्टिविटी बढ़ाएं लिटिगेशन कम हो और टीनेंट्स और मकान मालिकों के बीच संबंध मधुर हो मैं नहीं कहती कि इसके पास होने से हाउसिंग ऐक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी, लेकिन यह उस तरफ कदम हैं कि हम हाउसिंग ऐक्टिविटी को बढा ि.ि.

बहुत से भैम्बरान ने यह बात कही, जसवंत सिंह जी ने कही कि 3500 रु. क्यों रखी गई है. झा कमीशन ने 1500 रु. के लिए कहा था. झा कमीशन ने 1982 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि 1500 रु. करना चाहिए मैं समझती हूं कि 6 वर्ष बीत गए तब से और बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी 3 हजार या 5 चार हजार छपया किराया दे रहे होंगे, इसलिए उसको बढाकर 3500 रु. किया गया

एक बात हमारी रेणुका चौधरी जी ने भी कहीं और मैं समझती हूं कि वाजिब बात कहीं कि कामिशियल और रेजिडेंशल एरियाज के बीच में कोई बाइफरकेशन होना चाहिए, कोई लाइन खींचनी चाहिए, दिल्ली जैसे शहर में बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इतना मुश्किल है कामिशियल और रेजिडेंशल एरियाज को ग्रलग करना क्योंकि एक छोटे से मकान

में दुकान भी है, श्रागे वैलिडंग की दुकान है, पीछे वह खुद रहता हैया आगे चाय की दुकान है और पीछे रहने की जगह है. मैं उनकी बात मानती हं कि कार्मशियल एरियाज को ग्रलग करना चाहिए, लेकिन जो ग्रागे कंसट्कशन हो उनमें इन चीजों की गर्त होगी और कोशिश यह की जाएगी कि जो कानून है उसका पालन हो. लेकिन जो पुरानी दिल्ली है उसको हम अलग कर सकते है. जसवंत सिंह जी ने कहा और वे ज्यादा दिल्ली को जानते हैं कि यहां काशियल एरियाज भी हैं और रेजिडेंशन एरियाज भी है. छोटे छोटे मकानात हैं उनमें विजिनेस भी होता है, घर भी है, उसको ठीक करने की हमने कोशिश की थी. लेकिन कठिन काम है.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That you can leave. There are another areas where commercial are separate. That you can do.

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं देखूगी कि कैसे इस काम को किया जा सकता है, कामिश्रयल और रेजिडेंशल को अलग अलग किया जा सकता है.

श्री जगजीत सिंह अरोड़ा: जो काम जियल काम कर रहा है वह कामिशियल एरिया है. यह तो मुश्किल नहीं है कि कौन दुकान चला रहा है और कौन मकान में रह रहा यह जरुरी बात है कि जो कामिशियल एरिया है उसको अलहवा भी करेंगे तो यह यह वड़ा काम होगा क्योंकि बहुत से लोग, खासकर गवर्नमेंट सरवेंट जिन्होंने

अपना प्राविडंट फंड लेकर छोटे-छोटे पलैट खरीदे हैं, उनको कामिंगयल एरिया में 3 रु. स्ववायर फुट मिलता है और और कनाट प्लेस में 30 रु. स्ववायर फुट मिलता है और फुट मिलता है, बहुत से आदमी हैं हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का सारा पैसा लगाया है क्योंकि पैसे की कीमत हर साल कम होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कास्ट आफ लिविंग वढ़ती जा रही है. तो इसको भी सोचने की जरुरत है.

श्रीमती मोहसिना किववई : इसको भी हम सोचेंगे. जब भी पूरा सर्वे होगा तब हम देखेंगें कि किस तरह से इसको किया जाए.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): By this provision, the commercial ones are benefited because the same limit is there.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : Yes, the same thing is for them.

श्री राम श्रवधेश सिंह . गरीदों के के लिए भी सोचा जाय।

श्रीमती मोहसिना किदबई : गरीबों के लिए भी सोचा गया है। ग्राप तो गरीबों की बात करते-करते कह रहे थे कि 10 प्रतिशत कम है और बढा देना चाहिए ... (व्यवधान) में ग्रापसे यह बात कह रही थी कि वाकई जो मेम्बर्ज की फीलिंग्ज है, जो हाऊस ओंनर्स हैं उनको भी कोई बड़ा भारी विजनेस मैन नहीं समझना चाहिए, बड़े मिडल बलास के भी बेचारे लोग हैं जिनका एक ही घर है और उससे वह ग्रंपनी रोटी चलाते हैं। तो इसमें हमने पूरी कोणिश की है कि दोनों को बैलेंस कर और इसमें जी ग्रामेंडमेंटस हमने एक तो सैक्शन 3 में ही [श्रीमती मोहसिना किदवई]
ही है कि साढ़े तीन हजार तक की
छूट दे दें। हमारा मतलब यही था कि हम
बड़े लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना
चाहते । जो साढ़े तीन हजार रुपये
किराया दे सकता है, उसकी श्रामदनी
कम से कम दस-बारह हजार जरुर
होगी । इसलिए ऐसे छादमी को हक
नहीं है कि उनको हम यह प्रोटिक्शन दें।
उससे नीचे वाले को हम प्रोटेक्शन
देना चाहते हैं और साथ ही साथ
जो हाऊस ओनर्स हैं, उनको भी देना चाहते
है ताकि उनको भी थोड़ा बहुत तसल्ली
रहे और वह नये हाऊसेज बनाने
के लिए सामने श्राएं।

जहां तक स्टेण्डर्ड रेंट की बात है, सेक्शन (6) में हमने अमेडमेंट किया है । श्रभी तक साढे सात या भ्राठ प्रतिशत था, जिसको बढा कर 10 प्रतिशत किया तक जिसको भी रेंट बढाने बात होती थी. उसको कोर्ट में जाना पडता था और लिटिगेशन इतनी होती थी कि उसमें सालहासाल गुजर जाते थे और फैसला नहीं होता था इसलिए उसमें हमने एक नया सेक्शन इनसर्ट है कि वह 10 प्रतिशत हर तीन साल के बाद वह किराया रिवाईज किया जा सकता है और मैं समझेती हं कि यह टेनेन्ट और लैंडलार्ड के ग्रापस की म्यच्यल कनसेंट से हो जाएगा। इसमें लिटिगेशन की कमी जरुर होगी, ऐसा मैं मान करके चलती हं।

सरदार जगजीत सिंह ग्ररोड़ा : माफ करिए , यह शुरु कव से होगा? श्रीमती भोहसिना किदवई: जत्र भी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा।

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : नहीं, जिन्होने 1975 से मकान दे रखे, उनके ऊपर क्या होगा[?]

श्रीमति मोहसिना किरवर्डः यह तो है कि तीन साल के बाद बढ़ा साल का जिनका सकते हैं ... तीन इसमें शामिल हम्रा है रेंट कंट्रोल में--तीत साल की अवधि के बाद वह बढ़ा सकता है। जहांतक इसका सवाल है, ग्रमेडमेट श्री जसवंत एक और लोगों सिंह जी तथा का भी कि नोटिफिकेशन का लफ्ज क्यों रखा गया है ? यह सब को मालूम है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती कोई चीज मान्य नहीं होती । इसलिए यह कहा गया है कि जैसे ही गजट नोटिफिके**शन** होगा, इसको जाएगा। श्रभी तो यह लोक सभा में पास होगा लोक सभा में पास होते प्रेजीडेंट की यह िलए जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन होना तो मैं यह कह सकती हुं कि इसमें ज्यादा देर लगने वाली नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What the House would like to know is whether these three years will start from the date assent is given by the President or after you issue the notification.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : After the notification.

THE VICE-CHAIRIVMN (SHKi JAGESH DESAI) : Suppose you issue the notification after six months, then what will happen ?

श्रीमती मोहसिना किदवई: हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको करें। (व्यवधान)

हमने इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा है, जो सब ने बेलकम किया है-एक्स-सर्विसमैन के लिए और सिविल सर्वेन्टस के लिए—और यह म्राफिशल स्रमेंडमेंट जो हमारे चौधरी साहब ने शुरुस्रात की थी--प्रतिभा जी और नाजमा हेपतुल्ला जीका भी उसी बेसिज पर है कि विङोज को भी इसमें शामिल किया जाए, तो म्रापने देखा होगा कि एक म्राफिशल भ्रमेंडमेंट मैंने किया है कि विडोज को भी इस केटेगरी में शामिल किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि एक्जिस्टिंग ला है। उसमें यह प्रोवीजन है कि रेंट कंट्रोलर के पास ग्राप लिटिगेशन में जाकर ग्रना पोजेशन ले सकते हैं। यह प्रोवीजन एक समरी प्रोसीअन के लिए किया गया है ताकि जल्दी से उनको मकान मिल जाए और इसमें कोशिश की है कि एक ही श्रापील के बाद और वह भी ला पर बेस करेगी ऋषील और उसके बाद उनको मकान का पोजेशन मिलेगा जो खुद रहना चाहें। जो खुद ग्रपना मकान लेकर उसमें रहना चाहे, उनके लिए यह समरी प्रोसी बर होगा और वह रहेंगे । इन केम झगर वह फिर उसको दुबारा किराये पर देते हैं, तो फिर उनके लिए सजाभी होगी और उसमें जो टेनेन्ट रहता था, जिसको इनिवट किया गया था, उसको भी यह हक होगा कि फिर से वह मकान ले सकता हैं और उसमें लैंडलाई के लिए सजा भी

मुकर्रर की गई है। तमको छह महीने तक की सजा भी हो सकती है।

प्रगर वह फिर से मकान किराये पर दे। यह प्रोविजन हमने किया है टेनैन्ट के हम में।

डा. (श्रीसती) नाजमा हेपतृह्लाः यह बहुत इस्पोर्टेन्ट ईशु है इसलिए मैं एक बात जातना चाहती हूं। जसवंत सिंह जी ने और मैंने भी लैंडलोर्ड के बारे में कहाथा वह जरुर कर दे। उसमें किसो की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ला, मिनिटरी की जरूरत नहीं।

JAGESH DESAI: CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What about poorer tanants which Mr. Bagrodia raised *

पहरा । वकास सम्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : श्राप नहीं थी उसके पहले यह बात ग्री चुको है।

श्रीमसी मोहसिना किदवई : चीत्ररी साहब की एक ग्रमडमेंट है कि जो टेनैन्ट है ग्रगर उसके मकान बना लिया है तो उस के दर्खास्त के ऊनर उसको वहां से एविक्ट कराया जा सकता है। मैं चौबरी साहब से कहूंगी यह सेक्शन 14-1(ए) में आलरेड़ी एग्जिस्ट करता है उसे एविक्ट करा सकते हैं। हमने टैनैन्ट को यह हक दिया है जैसा औरों ने भी कहा है 10 साल तक उनको छूट होगी कि जो स्टैण्डर्ड रेंट बनता है वह दे सकता है और उसके पीर्छ भी यह लोजिक है, उसके पीछे भी एक कारण है कि पहले जमाने में यानी 1958 में जिल्होंने मकान बनाया था उन्होंने श्रयनो पूंजी लगाकर मकान बनीया था, कहीं में कर्ज नहीं लेते थे। **अब तो** 99.9 परसेट लोग बैंक से कर्ज 363

श्रीमती मोहसिना किदवई। लेकर मकान बनाते हैं। बैकों की जी किंग्त है या उनका जो कर्जा होता है वह 10 साल तक पूरा कर दें इसलिए कोशिश की गयी है कि 10 साल की उनको छट दी जाये ताकि वे अपना कर्जा वापस कर सके। पहले लोग तमाम मकान बनाते थे ग्रपनी पंजी लगाते थे और किरायेदार से पैसा वसुलते थे। ग्रब वैंक से कर्जा लेते हैं। इसलिए यह रखा गया है कि ताकि 10 साल में ग्रपने कर्जे से मुक्त हो जाये। टैनैन्ट को भी यह स्विधा दी गयी है कि वह अपना मकान इस बीच बना ले। पहले टेनैन्ट अपना मकान नहीं बनाताथा। उसको यह डर रहताथा कि भ्रगर मकान बनाया तो उसका एविकान हो जायेगा। टेनैन्ट को यह सहलियत इसीलिए दी गयी है ताकि हाउसिंग एक्टिविटी बुस्टग्रप हो जाये।

एक चीज हमने इसमें कही है कि 15 परसेंट इंटरेस्ट हाउस ग्रानर्स की, लैंड लाड़ को मिले। यह हमने इसलिए किया ताकि हाउस ग्रानर्स को वक्त पर किराया मिले। ये सारी चीजें हमने की हैं। वैसे इसमें काई खास बात कहने की नहीं थी। जसवंत सिंह जी ने एक बात कहीं वह बात सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ब्राबादी बढ रही है, जिस तरह से ग्रखन सीन है, लोग बडे शहरों की तरफ भाग रहे हैं दिल्ली का मुझे मालम है दो से ढाई लाख तक लोग सालाना माइग्रेन्टस हैं जिनके लिए ग्रापको इंतजाम करना होता है, रहने का, खाने का और मकान का सबसे ज्यादा। भाज हमारी कोशिश यह है कि दो चीजों में तो हम सेल्फ स्फिशियेंट हो गये--फड के मामले में और कपड़े के मामले में लेकिन जो तीसरी बेसिक जरूरत है इंसान की

कि हमारे सर पर छत भी हो, हर हिन्द्स्तान में रहने वाले को एक मकान मिले उसके लिए कोशिश की जा रही है। अभी नेशनल हाउसिंग पालिसी जिसका जिक किया गया था जब वह छायेगी तो डिसकस होगी, हमारी पुरी कोशिश है ईमानदारी के साथ कि हम इन तमाम चीजों के साथ-साथ हिन्द्स्तान में रहने वाले लोगों को न सिर्फ एक घर बल्कि ऐसा घर जिसमें सेहतमंद माहील, सेहतमंद जीवन बनकर रह सके जिसके जरिये से उनकी पूरी जिन्दगी के ऊपर छाप पड़े। यह हमारी कीशिश है जितने अमेन्डमेंटस हैं मैं समझती हं कोई ऐसा नहीं है जिनके ऊपर कोई वाद-विवाद की जरूरत हो। मेरी हाउस से यह गुजारिश होगी कि वह इन ग्रमेंडमेंटस को मंजूर करे।

. श्री राम चन्द्र विकल : चंडीगढ, अंडेमान-निकोबार के बारे में मैंने कहा था.

श्रीमती मोहिसना किदवई : मैंने वताया कि यह दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है। यह कोई नया एक्ट नहीं बना रहे हैं। हर स्टेट का अपना अलग-अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGGESH DESAI): So much discussion was there on this Bill. It was discussed threadbare.

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मेरा सुझाव था क्लाज 8 में ग्रापने जो हटाया है उसको रहने दिया जाय।

श्रीमती मोइसिना किदवई : मैं ग्रापकी बात पर भी ग्रातो हूं। श्री जसवंत सिंह जी ने कहा था कि इस क्लाज में—

House built by tenants have been excluded. afterwards.

यह इसलिए हटाया गया है कि लोग फेमिली ट्रस्ट और प्राईवेट ट्रस्ट बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए यह सोचा गया कि इस लफ्ज को हटा दिया जाये ताकि लोग जो नये नये ट्रस्ट बनाकर, फेमिली ट्रस्ट बनाकर फायदा उठाते हैं वह न कर सकें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, दो ग्रलग-अलग पहलू हैं। एक सवाल या प्राईवेट ट्रस्ट का और दूसरा सवाल था जो वर्ड ''बिल्ट'' हटा दिया गया है वह पहले एक्ट में था, लेकिन ग्रब उसकी हटाया जा रहा है। उसके रहने में कोई नुक्सान नहीं है। इसरा सवाल यह है कि Private trusts I hope will not exclude the worthwhile activities of charitable trusts. I want to understand what the hon. Minister means by 'private trust'.

श्रीमती मोहसिना किववई : यह ग्रालरेडी उसमें है, सेक्शन 22 में है। फेमिली ट्रस्ट और प्राईवेट ट्रस्ट के नाम पर लोग प्रोटेक्शन न ले सकों, इसलिए इसको किया गया है।

श्रीमती सत्या बहिन : इस बिल को दिल्ली के बाहर भी लागू किया जाय।

उपसभाष्यक (श्री जगेश देसाई) : यह बिल तो सिर्फ दिल्ली के लिए है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह तो सेक्शन 22 में है। इसमें यह बात ग्राई है ---

"Where the landlord in respet of any premises in any company or other body corporate or any · local authority or any public institution and the premises are required for the use of employees of such landlord or in the case of institution, for furtherance

of its activities, then, notwithstanding श्री जसवंत सिंह: मेरी ग्रजें यह है कि ग्राप प्राईवेट ट्रस्ट को छोड दीजिये। प्राईवेट ट्रस्ट का मसला नहीं है। मेरा कहना यह है कि "बिल्ट" लफ्ज प्राने एक्ट में है, लेकिन इस एमेंन्डमेंट बिल में सात उसको नमं उनी हैं। सही क्ली THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): She will inform vou

श्रीमती मोहसिना किदवई : इसका सिम्पल-सा रिजन यह है कि हाउसिंग एक्टीविटीज को हम ब्रस्ट ग्रप करने जा रहे हैं और जो ग्रपने मकान बनाना चाहते हैं उनको फरदर इनिशिएटिव दिया जाय ताकि वे भ्रपने हाउसेज बना सकें, उनको इविक्ट न किया जा सके।

डा॰ (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : महोदय, जो बात श्री मदनी जी कहना चाहते हैं उसी विषय में मैं कहना चाहती हुं और मैंने यह बात ग्रपने भाषण में भी की है कि जो पब्लिक ट्रस्ट हैं और जो वक्फ की It is not necessary that it should be a Muslim trust or a trust for Hindus or atrust for Christians.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI IA-GESH DESAI): Provided it is a public trust.

जितने भी रिली-जियस ट्रस्टस हैं वे पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाये गर्थे इसलिए उनको तो इंसेंटिव दिया जाना चाहिए ।

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTUL LA

जितनी भी वक्फ की : Naturally

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): It is a public trust.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTLL-LA: But that word is not there. So, it bus to be very clearly mentioned.

मैं तो यह कहूंगी कि अगर मंत्री महोदया अभी मान लें तो उनको मुबारकवाद है और अगर न मानें तो लोकसभा तक जाते जाते मान लें। मगर उनको यह मान लेना चाहिए।

श्री (मौलाना) ग्रसद मदनी उत्तर प्रदेश: वक्फ प्रापर्टी की हालात बहुत खराब है। उनकी ऐसी बुरी हालत है कि उनका बजूद बचाय रखना मुश्किल है। उनके लिये ऐसी सूरतेहाल है। उनकी मरम्मत नहीं होती है। इसलिए उनको एक्जंप्ट किया जाय।

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला: कोई गरीब नहीं रहता है। बड़े लोग रहते हैं। मैं मौजूदा मिसाल दे रही हूं। दिल्ली की एक मस्जिद के अंदर कुछ म्रादिमयों ने होटल लगा रखे हैं। कोई गरीब नहीं हैं, बहत पैसे वाले हैं।

श्री (मौलाना) ग्रसद मदनो: जहां का मार्केट रेंट 10 हजार रुपया है उसका किराया सिर्फ 50 रुपया माहवार है। कोई मरम्मत का काम नहीं हो सकता है। इसके बजूद को बनाय रखना बडा मुश्किल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI) : Mr. Maulana Azad Mad-your amendment, Mr. Malaviya?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): I am putting the amendment moved by Shri Satya Prakash Malaviya for reference of thj Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha, to vote.

The amendment was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by Shrimati MohshiaKi'Jwai to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIA-GESH DESAI): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

We shall now take up cause 2. There are six amendments.

Clause 2—Ameddment of section 3

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Chowdhary Ram Se wak, are you moving?

CHOWDHARY RAM SEWAK : Sir, 1 am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Sardar Jagjit Singh Aurora, are you moving your amendment?

SARDAR JAGIIT SINGH AURORA: If she is going to consider my amendment, I will not move.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI 1A-GESH DESAI): Mr. Maulaa Asad Mad-ni, are you moving your amendment?

ं श्री (मोलाना) श्रसद मदनीः यह तो निहायत जरूरतरी श्रमेंडमेंट है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई: वह उन्होंने समझ लिया है।

भी (मौलना) ग्रसद भवनी: मुझे नहीं मालूम क्या समझा और क्या नहीं समझा। मेरा...

उपामाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : भ्राप ग्रमेंडमेंट मूत्र कर रहे हैं ?

भी (मौलाना) श्रसद मदनी: मैं तो सम-क्षाना चाहता हूं ताकि वे समझ लें।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश वेसाई) : वह तो श्रापने चता दिया।

ंडा (श्रीमती नाजना हेपतुस्ला : विदड़ातो करेंगे ही, रीजन बता रहे हैं श्री (मौलाना) श्रसद मदनी: मैं चाहता हूं कि इस बात को बतातो दूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह नहीं कह सकते।

श्री (मौलाना) श्रमद मवनी : ग्रपने ग्रमेंडमेंट के बारे में बता नहीं सकता हम इसकी देखें कि क्या बात है।

् उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उन्होंने ग्रापकी बात को समझ लिया है और भविष्य में ग्रगर मौका ग्रायेगा तो उस समय वे देखेंगी।

श्री (मौलाना) असद मदनोः देखने की बत्त नहीं हैं इस को अत्य समझ लें और हाउस को भी मालूम हो जायेगा। मुझे इस पर कहने का मौका दिया जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह नहीं हो सकता है। 2465 RSS/88---24 श्री (मौलाना) श्रसद मदनी : मौका नहीं मिलेगा बात साफ करने का भी ।

ज्यसभाष्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आंप मूत नहीं करते । स्राप पहले मूत कीजिये ।

भी (मौलाना) श्रसव मदनी : महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

6"पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित ग्रन्तस्थापित किया जाये, ग्रथीत्:—

ैं "(गग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किसी ऐसी वक्फ सम्पति को,"

ू तुं उपसभाध्यक्ष (श्री अवेश देसाई) : ग्रन जो ग्रापको कहना है कहिये।

श्री (मौलाना) असद मदनी: श्रसल बात यह है कि ग्राजादी के बाद मल्क की तक्सीम के नतीजे में दिल्ली में भ्रतराफ और औकाफ का करोड़ों श्रारवीं रुपये का नुकसान हुग्रा है। बड़ी बरबादी हुई है। औकाफ की हालत झाज ्रैभी इस कदर खराब है कि *नाजाय*ज ्कब्जे हें मुकदमात हैं और उनकी कोई देखभाल नहीं हो पाती है। खुद वक्फ बोर्ड जिन्दगी और मौत की हालत में पड़ा रहता है और जो उसके पब्लिक के फायदे के काम हैं वह कोई नहीं हो पाते हैं। ऐसी सुरत में रेंट कंट्रोल की वजह से बहे-बहे औकाफ़ नाजायज कब्जों और मजबरियों की वजह से मार्किट रेंट के मकाबले में वन परसैंट भी नहीं है इतने मामली किराये हैं। ऐसी सूरत में उसका एक्जेम्पश्न मिलना और उनका (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मन्त्री जी समझ गये हैं, समझदार हैं।

थो (मौलाना) ग्रसद महनो : ग्राप बात तो पूरी करने दें (ब्यवधान) चेयरमैन माहब बात भी नहीं कहने देते।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश वेसाई) : श्रापकी बात में भी समझ गया ह और वे भी समझ गये हैं।

भी (मौलाना) असद मदनी: मुश्किल यह है कि मैने समझया ही नहीं और वे बात समझ गये ।

श्रीमती मोहसिना किदबई : मैने उनकी बात मृत ली है और सोचेंगे कि इसके बारे में क्या करना है।

THE VICE-CRMRMAN (SHRI i\-GESH DESAI): Are you withdrawing amendment ?

SHRI (MAULANA) ASAD MAD-NI Yes.

The amendment (No. 6) was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): I shall now put clause 2 to vote.

The question is:

"That clause 2 stand part of '.he Hill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

Clauses 3 to 8 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): We now take up clause 9. There are amendments by Chowdhaty Ram Sewak. Shrimati Pratibha Singh, Dr. (Shrimati) Najma Heptulla, Shri Jaswanl Singh and the Minister.

Clause 9: Insertion of new Sections UB and UC,

ओमतो प्रतिमा सिह : मन्ता जा ने स्वयं जो संशोधन रखे हैं उनके लिए मै उनको धन्यबाद देती हुं और मंगोधन विदड़ा करती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA GESH DESAI): Shrimati Najma Heptu-lla. Are you withdrawing?

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA-LA: Naturally, I am withdrawing. But I would like it to be brought on record that we bother about it.

SHRIMATI MOHSINA KIDWA1: Sir, I move:

8. That at page 4, after line 10, following be inserted, namely:-

"14C.(1) Where the landlord is a retired employee of the Central Government or of the Delhi Administration, and the premises let out by him are required for his own residence, such employee may, within one year from the date of his retirement or within a period of one year from the date of commencement of the Delhi Rent Control (Amendment) Act, 1988, which ever is later, apply to the Controller for recovering the immediate possession of premises,"

- 9. That at page 4, line 11, for the figure, letter and bracket "14C(I)" the figure and bracket "(2)" be substituted.
- 10. That at page 4, line 17, the words "let out by him" be deleted.
- 11. That at page 4, line after the word, bracket and figure "sub-section (1)" the words, bracket and figure "or subsection (2)" be inserted.
- 12. That at page 4, after line 21, the following be inserted, namely:
 - "14D. (1) Where the landlord is a widow and the nremtses let out by

373

her, or by her husband, are requir- I ed by her for her own residence, | she may apply to the controller for recovering the immediate possession of such premises.

(2) Where the landlord leferred to in sub-section (1) has let out more than one premises, it shall be open to her to make an application under that sub-section in respect of any one of the premises chosen by them."

The question was put and the motions was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI; The question is:

The clause 9, as amended, was added to the Bill.

7 he motion was adopted.

Clause 9. as amended, was added to the Bill.

Clause 10: Amendment of Section 19

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI ; Sir, I moi'c :

16. "That at page 4, line 24, after the figure and letter "14C" the figure and letter "14©" be: inserted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

That clause 10, as amended, 6tanr» part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Chases 11 and 12 weif. added to the

J. Clause 13 : Amendment of Section 25B SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : Sir, 1 move:

17. "That at page 4, line 38, after the figure and letter "14C", the words, figure and letter- "or under section 14D" he inserted.

The question was put and the motions were adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DBSA1): The question is.

That Clause 13, as amended, stand oart of the Bill.

The Motion was adopted. Clause. 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses 14 to 17 were added to the Bill.

Clause 18: Amendment of Section 48.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : Sir, I move—

19. "That at page 5, line 21, the words, figures and letters "or sections 14A, 14B or 14C" be deleted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): The question is:

That Clause 18,, as amended, sttuid part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added as the Bill

Clause 19: Amendment of Section 49.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI Sir, I move :

20. "That at page 5, line 24, for the words, bracket and figures "In sub-section (3) of section 49 of the Principal Act," the *words* and figure "in section .49 *at* the Principal Act, be- s-ulntftia-ed."

21. That at page 5, after line 27, the following be inserted, namely:—

"(b) for the words and figures "section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "section 29 of the Code oc Criminal Procedure, 1973" shall be substituted."

22. "That at page 5, line 28, for the bracket and letter "(bV the bracket and letter "(c)" be substituted."

The questions were put and the motions were adopted.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAG-ESH DESAI): The question is—

*That Clause 19, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted. *Clause 19, as amended, was added to the Bill.

* Clause 20 was added to the Bill.

Clause 1 : Short title and Commencement.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, 1 move—

2. That at page 1, for lines 5-6, the following be substituted, namely:—

"(2) It shall come into force at once."

Mr. Vice-Chairman, despite the honourable Minister's assurance about gazette notification making this effective, I would like you, the totally to share with her, through unacceptable aspect of the executive, exercising a veto on the legislative will. To find out precedents of enactments of Parliament which the executive, by non-issuance of gazette notifications, has .held up, I referred one week ago to the Reference Section of the Library to give me information as to how many Bill?, how many Act as, have been enacted by Parliament, because if gazette notification

has not been issued, the legislative will is being defeated by an executive veto. Here is the reply from the Reference Section which they could give me:

"As regards Central Acts no information is available either in the records of the I-ok Sabha Secretariat or with the Ministry of Law, Legislative Department. The Legislative Department have, however, stated that such an information is not collected by them in a consolidated form as the enforcement of a law is the concern of the individual Ministry to whom the subject-mitter of the law pertains."

I pursued this matter further and two examples are given to me: The Hire Purchase Act of 1972 and the Wakf Amendment Act of 1984. These two pieces of enactment by Parliament are pending because the necessary gazette notification has not been issued. I do not, for a moment, disbelieve the Honourable Minister's statement that she has intention of bringing this piece of legislation into force: I would nevertheless draw her attention to existing anomaly. That is why I am moving this amendment and I want specific assurance from the honourable Minister to the effect that as soon as the Presidential assent is given, this will become an Act and that the Parliament's will will not be defeated by an executive veto.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He is right. What he says is rght. So, if you can give an asiu-rance, that will be all right.

श्रीमती मोहीसना किदबई: मैने तो पहले ही एशोरेंस दिया है कि इसकी देखेंगे और यह तो श्रमेंडमेंट्स हैं। इसकी नोटिफिकेशन ने क्यों परेशानी होगी। उपासभाष्यकः (श्री जगेश देसाई)ः उनका कहना तो यह है किः · · (ब्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: ग्रापने खुद फरमाया है कि अर्नेंडमेंट भी तभी लागू होंगे जब गजरनोटिफिकेशन होगी। मेरी गुजारिश यह है कि '''(श्यवधान)

श्रीमती मोहसिना कियवई: मेरी पुरी कोशिश होगी कि श्रापने जो मिसालें दी है, उस मिसाल में यह न श्राए।

श्री जसंबत सिंह: में जानता हूं कि श्राप पर कई तरह के दबाव अर्थेगे। THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The anxiety of the House is there and the anxiety is that immediately after it is

श्रीमती मोहसिना किंदबाई जो मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन के बाद ही यह लागू हो सकेगा उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि नोटिफिकेशन जल्दी हो। passed, it should become operational. That is the anxiety.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It should be done immediately. Now, has Mr. Jaswant Singh the leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment (No. 2) was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Ram Sewak, ,ire you moving your amendment?

CHOWDHARY RAM SEWAK: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI); Now, I shall put clause 1 to vote.

The question is:

'That clause 1 stand Part of the Rill."

The motion was adopted. Clause I was added to the Bill

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : Sir, I beg to move ;

"That the Bill, as amended, be passed".

The question was put and the motion was adopted.

The Vice-Chairman (Shri Satya Prakaslh Malviya)0 in the Chair.

Aircraft (Amendment) Bill, 1988

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIVA): Now, we shall take up the Aircraft (Amendment) Bill, 1988. Yes, Mr. Shivraj Patil.

THE MINISTER OF STATE OP THE MINISTRY OF CIVIL AVIA TION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL); Sir, this is a very simple amending Bill ...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : Order, order, please. Yes, Mr. Minister.

SHRI SHIVRAJ PATIL: Sir, this is a very simple amending Bill. It proposes to make the offence congnizable. Now the offence is not cognizable. It proposes! to enhance the punishment from three months to one year and the line from one thousand rupees to two thousand rupees. This punishment will be imposed on those persons who would commit ihe offence within a radius of 10 km. from the airport.

Now, Sir, this is a very very simple amending Bill The purpose of making this amendment is to see that the law